

20

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगे (2023-24)

बीसवाँ प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

बीसवाँ प्रतिवेदन

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगें (2023-24)

20.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

17.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 /फाल्गुन, 1944 (शक)

डब्लू. आर. सी. स. 75

मूल्य: रुपये

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
----- द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

समिति (2022-23) की संरचना
प्राक्कथन
संक्षिप्ताक्षर

पृष्ठ

(v)

(vii)

(viii)

प्रतिवेदन
भाग-एक
वर्णनात्मक विश्लेषण

एक.	जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बजट (2023-24) की मुख्य विशेषताएं	2
दो.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन	3
तीन.	विभाग के बजटीय आवंटन का उपयोग	5
चार.	योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	8
पांच.	जल क्षेत्र की चुनौतियां	11
छह.	उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण	13
सात	मिशन अमृत सरोवर	15
आठ.	अटल भूजल योजना	17
नौ.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	19
दस.	बाँध सुरक्षा	27
ग्यारह.	गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाएँ	29
बारह.	यमुना नदी की सफाई	31
तेरह.	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	36
चौदह.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	38
पंद्रह	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	40
	भाग-दो टिप्पणी/सिफारिशें अनुबंध	43
I.	समिति की 21.02.2023 को हुई पाँचवी बैठक का कार्यवाही सारांश	60
II.	समिति की 14.03.2023 को हुई छठी पाँचवी बैठक का कार्यवाही सारांश	63
III.	100 साल से अधिक पुराने बड़े बांध (1922 में या उससे पहले निर्मित) - एनआरएलडी, 2019 के अनुसार - अनुबंध I	65
IV.	गंगा की सहायक नदियों पर नमामि गंगे के तहत सीवरेज परियोजनाएं - अनुबंध II	76
V.	गंगा की सहायक नदियों पर घाटों और शवदाह गृहों परियोजनाएं - अनुबंध III	91
VI.	जल गुणवत्ता संबंधी मानदंड एवं यमुना नदी - अनुबंध IV	92

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
6. श्री गुमान सिंह दामोर
7. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
8. डॉ. के. जयकुमार
9. श्री धनुष एम. कुमार
10. श्री सुनील कुमार
11. श्री अकबर लोन
12. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
13. श्री हंसमुखभाई एस.पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. सुश्री नुसरत जहां
17. श्रीमती अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी. के. सुरेश
21. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

22. श्री एच. डी. देवेगौड़ा
23. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद
28. श्री अरुण सिंह
29. संत बलबीर सिंह
30. श्री प्रमोद तिवारी
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक
4. श्री गौरव जैन - सहायक समिति अधिकारी

प्राक्वचन

में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंधी बीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।
3. समिति ने 21.02.2023 को जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
4. समिति ने 14.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।
5. समिति जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित लिखित सामग्री प्रदान करने तथा मौखिक साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद देती है।
6. समिति ने उससे संबंध लोक सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2023

23 फाल्गुन 1944(शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल

सभापति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

संक्षिप्ताक्षर

एबीवाई	अटल भूजल योजना
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
अमृत	अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन
बीबीएमबी	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
बीई	बजट प्राक्कलन
बीओडी	बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
सीए	केन्द्रीय सहायता
सी सी ए	कृष्य कमान क्षेत्र
सी जी एफ	स्वच्छ गंगा निधि
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भूजल बोर्ड
सीओडी	केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
सीएनए	केंद्रीय नोडल खाते
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीएसआर	सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व
सीडब्ल्यूसी	केन्द्रीय जल आयोग
सीडब्ल्यूआरडीएम	जल संसाधन विकास और प्रबंधन केन्द्र
डीएएंडएफडब्ल्यू	कृषि और किसान कल्याण विभाग
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता विभाग
डीओ	घुलित ऑक्सीजन
डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंड जीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरआईपी	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
डीवीसी	दामोदर वैली निगम
डीडब्ल्यूआरआईएस	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
ईएपी	आपातकालीन कार्य योजना
ईबीआर	अतिरिक्त बजटीय संसाधनों
ईसी	इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
ईपीसी	व्यय वित्त समिति
एफआर	व्यवहार्यता रिपोर्ट
जीडी	गौज और डिस्चार्ज
जी एल ओ एफ	ग्लेशियर झील आउटबरस्ट बाढ
जीडब्ल्यूएम एंड आर	भूजल प्रबंधन और नियमन
एचडीपीई	उच्च घनत्व पॉलीथीन
एचकेकेपी	हर खेत को पानी

एचओ	जल विज्ञान संबंधी टिप्पणी
आईएसएस	कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलआर	नदियों को आपस में जोड़ना
आईयूसीएन	इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
जेजेएम	जल जीवन मिशन
एलबीसी	लेफ्ट बैंक कैनल
एमएलडी	मिलियन लीटर पर डे
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
एमओडीडब्ल्यूएंडएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओजेएस	जलशक्ति मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएक्यूआईएम	राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
एनबीडब्ल्यूयूई	राष्ट्रीय जल उपयोग क्षमता ब्यौरो
एन इ डब्लू एम ए	उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण
एनजीपी	राष्ट्रीय गंगा योजना
एनजीआरबीए	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण
एनएचपी	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
एनएलएससी	राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एन एम एस एच ई	सतत हिमालयी इको प्रणाली के लिए राष्ट्रीय मिशन
एनपी	राष्ट्रीय परियोजना
एनआरसीडी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
एनआरसीपी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
एन आर आई	अप्रवासी भारतीयों
एनडब्ल्यूडीए	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
एनडब्ल्यूएम	राष्ट्रीय जल मिशन
एनडब्ल्यूएमपी	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
ओएंडएम	प्रचालन और अनुरक्षण
ओ एफ डी	खेत पर विकास
पीसीसी	प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ

पीएफआर	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
पीएल	मूल्य सूची
पीआईआरसी	परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति
पी आई एम	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन
पी आई ओ	भारतीय मूल के लोगों
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
आरबीसी	राइट बैंक कैनल
आरबीएम	नदी बेसिन प्रबंधन
आरई	संशोधित प्राक्कलन
आरआईएसएटी	राडार इमेजिंग उपग्रह
आरटीडीएस	रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम
आरआरआर	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार
एसएआर	सिंथेटिक एपर्चर रडार
एससीएडीए	सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन
एसएमआई	सतही लघु सिंचाई
एसएनए	एकल नोडल खाते
एस पी सी बी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसटीपीएस	मल जल उपचार संयंत्र
टीसी	टेक्निकल कमेटी / कुल कोलीफॉर्म
(टीडीएस),	टोटल डिऑल्ट्स सॉलिड्स
यूटीएस	संघ राज्य क्षेत्र
यूवाईआरबी	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
डब्ल्यूआरडी	जल संसाधन विभाग
डब्लू यू ए	जल उपभोक्ता समूह

प्रतिवेदन
भाग – एक
वर्णनात्मक विश्लेषण

हमारा देश समृद्ध और विविध प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जल उनमें से सबसे कीमती है। जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और इसका विकास मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी सजीव प्राणियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को बनाए रखने, देश के सतत आर्थिक विकास और गरीबी कम कर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन आवश्यक है।

1.2 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) जल शक्ति मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह जल; जल कानूनों और विधियों; अंतर्राज्यीय और सीमा पार जल संबंधी मुद्दों का समाधान करने; द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग; देश के जल संसाधनों के आकलन, विकास और विनियमन के उपयोग के लिए सामान्य नीतिगत दिशानिर्देशों और कार्यक्रमों से संबंधित जल आयोजना और समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग जल गुणवत्ता आकलन; गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और अन्य नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तरदायी है। इसे अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन एवं विकास; अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन; सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं; भूजल प्रबंधन; बाढ़ निरोधी; जल जमाव; समुद्री कटाव और बांध सुरक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन, जांच, मंजूरी और निगरानी से संबंधित विषय भी आवंटित किए जाते हैं।

जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बजट (2023-24) की मुख्य विशेषताएं

1.3 जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बजट (2023-24) की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"एक. केन्द्रीय बजट 2023-24 में कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ऊपरी भद्रा बहुउद्देश्यीय परियोजना शामिल है। बजट भाषण 2023-24 का संगत पैरा इस प्रकार है:-

“कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में, सूक्ष्म सिंचाई को बनाए रखने और पेयजल के लिए भूतल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी”।

दो. वित्त वर्ष 2023-24 में, आरआईएसएटी-1बी लॉन्च करने के लिए साझा करने हेतु 118.19 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसका भुगतान अंतरिक्ष विभाग को किया जाना है। आरआईएसएटी मिशन के कुछ उद्देश्य कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी, भूविज्ञान, समुद्री बर्फ, तटीय निगरानी, वस्तु पहचान और बाढ़ निगरानी जैसे अनुप्रयोगों में सभी मौसमों के दौरान दिन और रात एसएआर (सिंथेटिक एपर्चर रडार) अवलोकन क्षमता का उपयोग करना है।

तीन. नव सृजित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को 12.68 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जिसे देश में बांधों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिसमें बांध मालिकों को आवश्यक निदेश, सलाह और सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का बजटीय आवंटन वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 18,967.88 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 14,000 करोड़ रुपये की तुलना में 20,054.67 करोड़ रुपये है।"


वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन

1.4 विभाग ने बताया है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की मांग संख्या 62 में अनुदानों की विस्तृत मांगों को 09 फरवरी, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20054.67 करोड़ रुपये का कुल बजटीय प्रावधान किया गया है। निम्न तालिका वर्ष 2023-24 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग हेतु बजट के कुल आवंटन को दर्शाती है:

कुल बजटीय आवंटन (2023-24)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व	19694.19
पूंजी	360.48
कुल	20054.67



1.5 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निम्न तालिका वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों (ब.अ.) का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाती है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व (ब.अ.)	पूंजी (ब.अ.)	कुल
2022-23	18548.05	419.83	18967.88
2023-24	19694.19	360.48	20054.67

1.6 इसके अलावा, विभाग ने एक लिखित उत्तर में समिति को बताया कि उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 22673.53 करोड़ रुपये की मांग की, तथापि, उसे केवल 20054.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के बजटीय आवंटन का तुलनात्मक विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद(दों)	2022-23		2023-24	वर्ष 2022-23 (सं.अ.) की तुलना में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में % वृद्धि
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	
1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की स्थापना व्यय	1141.90	1140.37	1409.33	23.58
एक. केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाएं					
2.	फरक्का बैराज परियोजना	110.98	45.98	55.98	21.74
3.	बांध पुनर्वासन और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	100.00	25.00	50.00	100
4.	राष्ट्रीय गंगा योजना (नमामि गंगे मिशन दो)	2800.00	2500.00	4000.00	60
5.	नदी बेसिन प्रबंधन	97.00	101.64	110.00	8.22

6.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	185.00	140.00	162.13	15.80
7.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	375.00	315.00	330.00	4.76
8.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	800.00	512.51	500.00	(- 2.44)
9.	अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन	52.88	35.00	50.00	42.85
10.	अटल भूजल योजना	700.00	700.00	1000.00	42.85
दो. केन्द्र प्रायोजित योजनाएं					
11.	हर खेत को पानी	5369.97	4424.50	4175.00	(-5.63)
12.	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	1044.00	140.00	400.00	185.71
13.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	3237.69	1800.00	3122.23	73.45
14.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	450.00	450.00	450.00	-
15.	सिंचाई गणना	52.78	30.00	40.00	33.33
16.	महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज	800.00	240.00	400.00	66.66
17.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन	250.68	300.00	300.00	-
18.	नदियों को परस्पर जोड़ना	1400.00	1100.00	3500.00	218.18
19.	सकल योग	18967.88	14000.00	20054.67	43.24

विभाग के बजटीय आवंटन का उपयोग

1.7 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विगत कुछ वर्षों के बजटीय आवंटन और व्यय के संबंध में विभाग ने निम्नलिखित जानकारी दी:

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2019-20	8245.25	7518.21	7418.60
2020-21	8960.39	7262.09	7232.09

2021-22	9022.57	18008.70	17215.16
2022-23	18967.88	14000.00	7671.21*
2023-24	20054.67	-	-

* 31 दिसम्बर, 2022 तक।

1.8 संशोधित अनुमान चरण में बजटीय आवंटन में कमी करने और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों में बजटीय आवंटन के अल्प उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और निधियों का उपयोग न किये जाने की स्थिति से बचने के लिए, वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र के साथ-साथ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया शुरू की है। नई प्रक्रिया के तहत, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निधियों को केन्द्रीय नोडल खाते (सीएनए) के माध्यम से और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए एकल नोडल खाते (एसएनए) के माध्यम से भेजा जाना है। प्रारंभिक कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे के पश्चात सीएनए के तहत निधियों को बिना अधिक परेशानी के जारी किया जा रहा है और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत कार्यकलाप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। एसएनए के तहत, कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्ष होने के कारण, राज्य सरकारें नए निधि प्रवाह तंत्र को अपनाने के लिए तैयार नहीं थीं, जिसके कारण शुरूआती समस्याएं उत्पन्न हुईं। विभाग द्वारा उनके साथ संपर्क करने के पश्चात, राज्य सरकारों ने योजनाओं के लिए एसएनए लागू किया है और निधियां फिर से जारी की जा रही हैं। तथापि, एसएनए के अंतर्गत, राज्यों को चार किस्तें जारी की जानी अपेक्षित हैं और यह पाया गया है कि अधिकांश राज्यों ने अब तक दो से अधिक किस्तें जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। एसएनए के कार्यान्वयन में विलंब के

अलावा, राज्य सरकारें पहले से जारी की गई निधियों को खर्च करने में सक्षम नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप कम निधियां जारी हुईं।”

1.9 इसके अलावा, बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के मुद्दे पर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के प्रतिनिधि ने विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में 21.02.2023 को आयोजित बैठक के दौरान समिति के समक्ष निम्नवत जानकारी दी:

“सर, एक बड़ा चिंता का विषय है, जिसे माननीय सदस्यों ने इंगित किया है। हमारा इस साल का जो बजट ऐस्टिमेट था, उसके कम्पेरिजन में हमारा जो रिवाइज्ड एलोकेशन है, वह बहुत कम हो गया है। करीब 5 हजार करोड़ की कमी आई है, इसमें 26 परसेंट की गिरावट है। इससे हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मेरे स्तर पर भी बहुत सारे रिव्यूज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यह स्थिति है कि हम लोग पूरे एलोकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने इसकी जांच की तो हमने पाया कि इसमें एक मेजर मुद्दा है, जो नया फाइनेंशियल सिस्टम शुरू किया गया है – सिंगल नोडल एकाउंट सिस्टम, इसमें एक प्रावधान है कि पहले पैसा दो किस्तों में स्टेट्स को जाता था, अब चार किस्तों में देने का प्रावधान किया गया है। हमारी जो स्कीम्स हैं, इरिगेशन की स्कीम्स में आप देखेंगे कि मैक्सिमम इफेक्ट हुआ है, हमारा 33 प्रतिशत बजट रिड्यूस हुआ है, पीएमकेएसवाई और स्पेशल पैकेज ऑफ महाराष्ट्र में। हमारे जो पीएमकेएसवाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जो काम करने की विंडो है, वह लिमिटेड होती है। अक्टूबर से मई-जून तक काम हो पाता है। जो कैड के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें यह विन्डो और भी लिमिटेड है। जनवरी टू मार्च काम हो पाता है। इसलिए हमारी स्कीम्स का नेचर ऐसा है कि ये दो किस्तों वाले सिस्टम में तो ठीक से चलेंगी, लेकिन चार किस्तों वाले में, मेरे ख्याल से इसमें काफी समस्या आने वाली है। मेरा अनुरोध होगा कि इस पर अगर माननीय सदस्य विचार करें और कुछ अनुशांसा करें, हम लोग भी इसको

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टेक-अप करेंगे। अपनी समस्याएं उनको अवगत कराएंगे, लेकिन यह एक ऐसी बात थी, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था”।

योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

1.10 वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए जिन योजनाओं/परियोजनाओं के आवंटन में 20% से अधिक की वृद्धि की गई है, उनके विवरण के साथ-साथ ऐसी वृद्धि के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने निम्नवत डेटा प्रस्तुत किया:

"जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	बजट अनुमान आवंटन 2022-23	बजट अनुमान आवंटन 2023-24	% वृद्धि	कारण
नमामि गंगे	2800	4000	43%	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान, दिसंबर 2022 तक, 2397.23 करोड़ रु.की अनुमानित लागत वाली 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से पूंजीगत लागत 1319.65 करोड़ रु. अनुमानित है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को अगले वर्ष के दौरान दिया जाएगा, और अगले वर्ष के दौरान उनके कार्यान्वयन की दिशा में पर्याप्त व्यय की उम्मीद है। इसके अलावा, 66 डीपीआर मूल्यांकन के उन्नत चरण में हैं, और उनके अगले कुछ महीनों के दौरान स्वीकृत होने की संभावना है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपेक्षित मांग में और वृद्धि होगी। ये सभी चालू परियोजनाओं की मांग और पूर्ण परियोजनाओं के लिए ओ एंड एम आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष

				2023-24 के लिए 4000 करोड़ रुपये के बड़े हुए बजट अनुमान प्रावधान को प्रस्तावित किया गया है।
अटल जल	700	1000	43%	अटल जल के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 700 करोड़ रु का आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 में (लगभग 43% की वृद्धि) बढ़ कर 1000 करोड़ रुपये हो गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन के दूसरे अंतिम वर्ष में प्रवेश करेगी और अब प्रमुख ध्यान पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन राशि के संवितरण पर होगा।
नदियों को परस्पर जोड़ना	1400	3500	150%	यह वृद्धि मुख्य रूप से चरण-एक के घटकों हेतु भूमि अधिग्रहण पर व्यय को पूरा करने के लिए है, जिसके वित्त वर्ष 2023-24 में पूरा होने की संभावना है और यह चरण-दो की तीन परियोजनाओं के सिविल कार्यों के लिए भी है।

1.11 वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए जिन योजनाओं में आवंटन को 20% से अधिक घटाया गया है, उनके विवरण तथा ऐसी कमी के कारण बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया:

"जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	बजट अनुमान आवंटन 2022-23	बजट अनुमान आवंटन 2023-24	% कमी	कारण
फरक्का बैराज परियोजना	155	100	-35.5%	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित बजट अनुमान 155 करोड़ रुपये था। व्यय की गति को देखते हुए संशोधित अनुमान चरण में इसे

				घटाकर 90.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। उम्मीद है कि एफबीपी वर्ष 2023-24 के दौरान इतनी ही राशि खर्च कर पाएगा। इसलिए, बजट अनुमान 2023-24 को 100 करोड़ रुपये रखा गया है।
बांध पुनर्वासन और सुधार परियोजना	100	50	-50%	<p>वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आवंटित बजट अनुमान 100 करोड़ रुपये था, जिसमें उत्कृष्टता केन्द्र के भुगतान के साथ-साथ परामर्श लागत के भुगतान का भी प्रावधान था। परामर्शदाता की नियुक्ति में कुछ विलंब हुआ है। आईआईटी रुड़की के साथ 14.02.2023 को एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है।</p> <p>परामर्शदाता की नियुक्ति में विलंब के परिणामस्वरूप, बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में कमी की गई।</p>
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	800	500	-37.5%	<p>वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन 500 करोड़ रुपये (2022-23 के संशोधित अनुमान आवंटन से कम) है। यह उम्मीद की जाती है कि आरटीडीएस और एससीएडीए के प्रतिष्ठापन में हुए विलंब की क्षतिपूर्ति हेतु आगामी वित्त वर्ष के दौरान आवंटित निधियों से अधिक निधियों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्यों से विमर्श किया जा रहा है।</p> <p>निधि की कम आवश्यकता माइक्रोप्रोसेसर चिप्स की अनुपलब्धता के कारण है जो एनएचपी के तहत संस्थापित किए जा रहे रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटीडीएस) और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसके</p>


				परिणामस्वरूप प्रणाली चालू होने में विलंब हो रहा है और इसलिए, विक्रेताओं को भुगतान जारी नहीं किया जा सकता है।
महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज	800	400	-50%	योजना को 2022-23 तक ही लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसलिए, मांग करते समय वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रावधान पर विचार किया गया है।

जल क्षेत्र की चुनौतियां

1.12 देश की जल मांग अनुमानों के बारे में जानकारी के संबंध में विभाग ने निम्नवत बताया:

जल की मांग संबंधी अनुमान			
विवरण	केएम ³ या बीसीएम में जल की मांग		
	2010	2025	2050
सभी क्षेत्रों से जल की मांग	710	843	1180
सिंचाई	557	611	807
पेयजल	43	62	111
उद्योग	37	67	81
ऊर्जा	19	33	70
अन्य	54	70	111
उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता	1122	1122	1122
आधिक्य/कमी	412	279	-58

(स्रोत: राष्ट्रीय एकीकृत जल प्रबंधन आयोग, 1999)



1.13 दिनांक 23.02.2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नवत बताया:

“...हिन्दुस्तान में पूरे विश्व की 18 प्रतिशत आबादी है और 18 प्रतिशत कैंटल पापुलेशन भी है। Four percent of the world's freshwater resources are with us. So, it is definitely a challenge. जो यूटिलाइजेबल वाटर है, ग्राउंडवाटर और सर्फेस वाटर को मिलाकर 1,122 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। Our water demand is increasing mainly because we are developing. जैसे-जैसे हम डेवलेप करते हैं, वैसे-वैसे वाटर डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे-जैसे आबादी ग्रो करती है, वैसे-वैसे वाटर डिमांड ग्रो करता है। So, the gap between demand and supply is expected to grow. हम क्लाइमेट चेंज के साथ देख रहे हैं, जबकि प्रिडक्शन ये है कि टोटल पानी की उपलब्धता नहीं घटेगी, लेकिन किस वक्त कितना पानी मिलेगा, that becomes more uncertain. So, what we are saying is spatial variability and temporal variability. We will see more extreme precipitation event...”

1.14 जल मांग अनुमान के मुद्दे पर और अधिक विस्तार से बताते हुए, प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया:

“...में वाटर डिमांड प्रोजेक्शन पर एक ही बात कहना चाहती हूं। अगर आप देखेंगे, तो अवेलिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेबल वाटर को हमने एक ही रखा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। Today, when we talk about 2025, we are saying overall in India we have 279 BCM excess. This does not mean much because much of our utilizable water is in the Brahmaputra-Barak Basin. So, there is huge spatial variation and there are areas that suffer. आज की तारीख में हम 279 एक्सेस कह रहे हैं। Even that, in 2050 with business as usual, we are looking at minus 58 at the national level. मैं बस यही कहना चाहूंगी...”।

उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण

1.15 उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य विशेषताओं/महत्व और इस प्राधिकरण के गठन के संबंध में हुई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“क) ब्रह्मपुत्र और बराक नदी बेसिन के जल संसाधनों का न्यायसंगत, एकीकृत, समन्वित विकास और प्रबंधन के लिए प्राधिकरण।

ख) प्राधिकरण ऐसे प्रबंधन के पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सतही और भूजल संसाधनों के बीच संबंध पर समुचित ध्यान देते हुए एकीकृत तरीके से ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा।

ग) बेसिन के सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्राधिकरण की शाषी परिषद में शामिल करके बेसिन की राज्य सरकारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री करेंगे।

घ) बेसिन राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग की भावना पर और अधिक जोर देने के लिए, प्रत्येक बेसिन राज्यों के एक मुख्यमंत्री वर्णानुक्रम में बारी-बारी से एक वर्ष के लिए गवर्निंग काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे।

ङ) प्राधिकरण के दैनिक कार्यकलाप प्राधिकरण के सीईओ में निहित होंगे जिन्हें पांच सदस्य नामतः सदस्य (विद्युत), सदस्य (बाढ़ और कटाव प्रबंधन), सदस्य (जल और पर्यावरण), सदस्य (वित्त) और प्राधिकरण के सदस्य (प्रशासन) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

च) प्राधिकरण अपने पूर्ववर्ती संगठन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के विपरीत एक बहु-विषयक निकाय होगा, जो मूल रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए एकल विषयक निकाय था।

छ) शासी परिषद की संरचना के माध्यम से बेसिन के राज्यों का न्यूमा के मामलों में अधिक दखल होगा। प्राधिकरण अन्य जल निकायों जैसे - झीलों आदि की भी देखभाल करेगा और एक एकीकृत इकाई के रूप में ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के साथ उनके संबंधों को भी देखेगा।

ज) विभाग ने कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2023 शीर्षक से एक विधेयक तैयार किया है। विधेयक पेश करने के लिए मसौदा कैबिनेट नोट वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।”

झ) “एक बार एनईडब्ल्यूएमए विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने और अधिनियम बन जाने के बाद, प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा।”

मिशन अमृत सरोवर

1.16 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधान मंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है।

1.17 मिशन अमृत सरोवर के संबंध में हुई प्रगति और इन जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए निर्धारित समय अवधि के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन को मौजूदा मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार(आरआरआर) योजनाओं के अलावा शुरू किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से आरआरआर योजना के तहत शामिल जिन जल निकायों के अगस्त 2023 में पूरा होने की संभावना थी/है को अमृत सरोवर के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए चिह्नित किया गया है। जल निकाय की आरआरआर योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में कार्यान्वयन के लिए कुल 608 जल निकायों की पहचान की गई थी। इनमें से अब तक 211 जल निकायों का पुनरुद्धार पूरा कर लिया गया है।”

1.18 मिशन अमृत सरोवर के वित्तपोषण और इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई समर्पित निधि सृजित किए जाने के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया:

”अमृत सरोवर पहल के अंतर्गत अलग से कोई समर्पित निधि प्रस्तावित नहीं है। यह उल्लेख किया जाता है कि पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी योजना के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है।”

ऐसी योजना का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(08.02.2023तक)

क्र.सं.	राज्य	पूरा किए जाने वाले जल निकायोंकी संख्या		कुल जल निकाय	अभियुक्ति
		अगस्त, 2022 तक	अगस्त, 2023 तक		
1	आंध्र प्रदेश	49	48	97	अमृत सरोवर पोर्टल पर विवरण जोड़ा गया है। 23.08.2022तक प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल 97 जल निकायों में से: 0से25% - 48 25%से50% - 8 50%से75% - 5 75% से100% - 36 (28पूर्ण)
2	मणिपुर	0	3	3	अमृत सरोवर पोर्टल पर जोड़े जाने वाले विवरण की प्रतीक्षा है।
3	ओडिशा	0	201	201	574 आरआरआर योजना को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिनमें से 201 जल निकायों को अमृत सरोवर के अंतर्गत लाया जाना है।
4	राजस्थान	0	30	30	अमृत सरोवर पोर्टल पर विवरण जोड़ा गया है। एम एंड ए, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकारियों ने सूचित किया कि केंद्रीय सहायता जारी न किए जाने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। मौजूदा वि.व. में केंद्रीय सहायता को शीघ्र जीरी किए जाने का अनुरोध किया गया।

5	तमिलनाडु	0	92	92	अमृत सरोवर पोर्टल पर विवरण जोड़ा गया है। 92 जल निकायों में से, 83 जल निकायों को 25.08.2022 को राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वास्तविक रूप से पूरा कर लिया गया है।
6	तेलंगाना	185	0	185	अमृत सरोवर पोर्टल पर विवरण जोड़ा गया है। 18.08.2022 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 107 जल निकायों को पूरा किया जा चुका है।
	कुल योग	234	374	608	

अटल भूजल योजना

1.19 विभाग ने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि अटल भूजल योजना (अटल जल) अप्रैल, 2020 से सात राज्यों, जैसे हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 81 जिलों में 222 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8,774 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में पांच वर्षों के लिए लागू की जा रही है। चयनित राज्यों में भारत में जल-की कमी वाले (अति-दोहित, संकटग्रस्त और अर्ध- संकटग्रस्त) ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% भाग है।

1.20 इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि अटल भूजल योजना का उद्देश्य सतत भूजल प्रबंधन के सामुदायिक नेतृत्व को प्रदर्शित करना है जिसे स्केल किया जा सकता है। यह योजना सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना के सुदृढीकरण के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक प्रायोगिक के रूप में डिजाइन की गई है। सहभागीदार राज्यों में सतत भूजल प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाना भी इसका लक्ष्य है।

अटल भूजल योजना (अटल जल)- आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2020-21	200.00	125.00	123.03
2021-22	330.00	330.00	327.48
2022-23	700.00	700.00	504.57*
2023-24	1000.00	-	-

* 31दिसंबर 2022 तक

1.21 वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन में की गई बड़ी वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

“ अटल भूजल योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने के संबंध में, समिति को डीडीजी 2022-23 की जांच के दौरान अवगत कराया गया था कि योजना की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी और उस आधार पर, योजना के विस्तार के लिए विचार किया जाएगा।

यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन के द्वितीय अंतिम वर्ष में प्रवेश करेगी और अब प्रमुख ध्यान पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन निधियों के संवितरण पर होगा।”

1.22 अटल भूजल योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने के संबंध में, समिति को डीडीजी 2022-23की जांच के दौरान अवगत कराया गया था कि योजना की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी और उस आधार पर, योजना के विस्तार

के लिए विचार किया जाएगा। मध्यावधि समीक्षा और इसके परिणाम के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“ विश्व बैंक द्वारा योजना की मध्यावधि समीक्षा अभी पूरी हुई है और निष्कर्षों के अनुसार, कार्यक्रम सही दिशा की ओर जा रहा है और समापन तिथि अर्थात् (31 मार्च, 2025) तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा क्योंकि गत 12 महीनों में काफी प्रगति हुई है। विश्व बैंक से अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत और अधिक जल संकट वाले क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्तावों पर भविष्य में विचार किया जा सकता है, जो योजना के परिणामों और इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर निर्भर करता है।”

भूजल प्रबंधन और विनियमन

1.23 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जी डब्ल्यू एम एंड आर)स्कीम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की एक निरंतर चलने वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस योजना को हाल ही में **2021-26** की अवधि में जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। स्कीम के घटकों में i) घटक I निगरानी, मूल्यांकन, प्रबंधन और विनियमन और ii) घटक II प्रौद्योगिकीय उन्नयन) मशीनरी और उपकरण(के लिए अवसंरचनाओं का सुदृढीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए पीआईबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) नामक एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करना है। उल्लिखित उद्देश्य के अनुरूप, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है:

- भूजल स्तरों और भूजल गुणवत्ता की आवधिक निगरानी।
- राज्य सरकारों के सहयोग से भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन।
- भूजल विकास/निष्कर्षण का विनियमन और नियंत्रण।
- भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करना।

- चिह्नित क्षेत्रों में जलभृत पुनरुद्धार और स्प्रिंगशेड मानचित्रण वाली प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करना।
- सीजीडब्ल्यूबी के भूजल पेशेवरों का क्षमता निर्माण।
- भूजल क्षेत्र की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड की तकनीकी क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना
- जलभृत मानचित्रण के लिए डेटा सृजन
- उच्च रिजॉल्यूशन एक्विफर मैपिंग का उपयोग करना
- जल स्तर निगरानी का स्वचालन

(जी डब्ल्यू एम एंड आर)- आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

वित्त वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2019-20	260.00	243.18	239.32
2020-21	275.00	125.00	132.97
2021-22	275.00	170.00	168.99
2022-23	375.00	315.00	124.84*
2023-24	330.00	-	-

* 31दिसंबर 2022 तक

1.24 इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिए बीई आवंटन को आरई चरण में अत्यधिक कम क्यों किया गया है, इसके कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण कुछ गतिविधियों में देरी हुई, और इसलिए कम व्यय हुआ। वर्ष 2021-22 के लिए, ईएफसी ज्ञापन में प्रस्तावित गतिविधियों के अनुसार बीई की योजना बनाई गई थी। हालांकि, ईएफसी ने 31 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि योजना के एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट

प्रोग्राम)घटक-1) के तहत अधिकांश गतिविधियां जो डेटा सृजन के लिए हैं, जिसमें समन्वेशी ड्रिलिंग भी शामिल है, इसे एक परियोजना के रूप में की जानी चाहिए। तदनुसार, इन गतिविधियों को पीआईबी के तहत अलग से किए जाने का प्रस्ताव था और जीडब्ल्यूएमएंडआर योजना के तहत आरई को कम कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए बीई को एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम पर पीआईबी परियोजना की मंजूरी की प्रत्याशा में बढ़ाया गया है। चूंकि परियोजना को हाल ही में (29 नवंबर 2022) स्वीकृत किया गया है, इसलिए पीआईबी के तहत व्यय अभी शुरू नहीं हुआ है और व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।”

1.25 विभाग ने भूजल के विनियमन और विकास के लिए भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2005, जो एक मॉडल विधेयक था, को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया था।

1.26 यह पूछे जाने पर कि इस मॉडल विधेयक को किन राज्यों ने अधिनियमित किया है और किन राज्यों ने अधिनियमित नहीं किया है, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

राज्यों द्वारा मॉडल विधेयक के अधिनियमन की स्थिति

क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां मॉडल विधेयक अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया है (15 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र)

क्र.सं.	राज्य
1	आंध्र प्रदेश
2	असम
3	बिहार
4	गोवा
5	हरियाणा
6	हिमाचल प्रदेश
7	कर्नाटक

क्र.सं.	राज्य
8	केरल
9	महाराष्ट्र
10	नागालैंड
11	ओडिशा
12	पंजाब
13	तेलंगाना
14	उत्तर प्रदेश
15	पश्चिम बंगाल
	संघ राज्य क्षेत्र
1	चंडीगढ़ (विनियम और उप-नियम)
2	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
3	जम्मू और कश्मीर
4	लद्दाख
5	लक्षद्वीप
6	पांडिचेरी

ख. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां मॉडल विधेयक के अधिनियमन के लिए पहल की गई (10 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र)

क्र.सं.	राज्य
1	छत्तीसगढ़
2	गुजरात
3	झारखंड
4	मध्य प्रदेश
5	मेघालय
6	मिजोरम
7	एनसीटी दिल्ली (विनियमन सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जा
8	राजस्थान
9	तमिलनाडु (विनियमन सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जा रहा
10	उत्तराखंड
	संघ राज्य क्षेत्र
1	अंडमान और निकोबार

ग. राज्य, जिन्हें विधान अधिनियमित करना आवश्यक नहीं लगता (4 राज्य)

क्र.सं.	राज्य
1	अरुणाचल प्रदेश
2	मणिपुर
3	सिक्किम
4	त्रिपुरा

1.27 यह पूछे जाने पर कि इस मॉडल विधेयक को अधिनियमित करने हेतु राज्यों को राजी करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त, 2022 में इन सभी राज्यों को डीओ लिखा है, जिसमें मॉडल विधेयक को अधिनियमित करने और जल शक्ति मंत्रालय के दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह किया गया है। संबंधित राज्यों को 06 फरवरी, 2023 को अनुस्मारक पत्र जारी किए गए थे।”

1.28 देश के जल संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नानुसार बताया:

“(i) केंद्र सरकार ने देश में बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 के दौरान, खेतों में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण रीति आदि

शुरू करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी और इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर सतही जल स्रोतों के माध्यम से बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुज्जीवन (आरआरआर) तथा सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं को पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सतही और भूजल पुनर्भरण/संरक्षण के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने तथा सतही जल आदि का उपयोग करके लघु सिंचाई परियोजनाएँ शुरू करने के लिए जल निकायों में व्यापक सुधार और पुनरुज्जीवित करना है।

(iii) मंत्रालय द्वारा देश में भूजल निकासी के नियमन और नियंत्रण के लिए दिनांक 24.09.2020 को दिशा-निर्देश (पूरे भारत में प्रयोज्यता के साथ) अधिसूचित किए गए थे। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए दिशानिर्देश में कृषि क्षेत्र में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए एक भागीदारी दृष्टिकोण की वकालत की गई है, जिसमें भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल रोटेशन, विविधीकरण और अन्य पहलों की दिशा में काम करना शामिल है।

(iv) भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए मंत्रालय द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अटल भूजल योजना (अटल जल) लागू की जा रही है, जिसमें उपलब्ध भूजल और सतही जल का कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए समुदायों को शामिल करके

भागीदारी मोड में ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना तैयार करने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह योजना चुनिंदा क्षेत्रों में शुरू की जा रही है जिसमें दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिले, 229 प्रशासनिक ब्लॉक और पानी की कमी वाले 8,220 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(v) कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू कर रहा है जो 2015-16 से चालू है। पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल में मुख्य रूप से भूजल के निकासी को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(vi) केंद्र सरकार आम तौर पर अखिल भारतीय योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएमकेएसवाई-वाटरशेड विकास आदि के माध्यम से जल संचयन/संरक्षण प्रयासों का समर्थन करती है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 के दौरान जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ मिलकर कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुनःउपयोग संरचनाओं के नवीकरण, सघन वनीकरण आदि के माध्यम से मानसून वर्षा के संचयन की बारीकी से निगरानी करना है। जेएसए माननीय प्रधान मंत्री और भारत के माननीय

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इस अभियान का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

(vii) पूरे देश की जलभृत प्रणाली को चित्रित करने और उसकी विशेषता बताने और प्रभावी प्रबंधन योजना का सुझाव देने के उद्देश्य से, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एन ए क्यू यू आई एम) लागू किया जा रहा है। एन ए क्यू यू आई एम अध्ययन के तहत शामिल करने के लिए चिन्हित 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में से अब तक 24.50 लाख वर्ग किमी (30 दिसंबर 2022 तक) क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। पूरे 25 लाख वर्ग किमी को मार्च, 2023 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। एन ए क्यू यू आई एम रिपोर्ट को उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

(viii) सी जी डब्ल्यू बी और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान -2020 तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में 1.34 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए 141.75 लाख जल संचयन/संरक्षण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संबंधित केंद्रीय/राज्य योजनाओं के माध्यम से उपयुक्त उपायों के लिए मास्टर प्लान को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

(ix) माननीय प्रधान मंत्री ने 24 अप्रैल, 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के

एक भाग के रूप में मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का विकास और कायाकल्प करना है।

(x) विभाग ने भूजल के नियमन और विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2005 परिचालित किया था, जो एक मॉडल विधेयक था।

बाँध सुरक्षा

1.29 यह पूछे जाने पर कि भारत में ऐसे कितने बड़े बांध हैं जो 100 साल पुराने हैं और अभी भी संचालन में हैं, विभाग ने उत्तर में निम्नवत बताया :

“बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर- 2019 के अनुसार, भारत में 234 बड़े बांध ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं और संचालन में हैं”।

इन बांधों की सूची अनुबंध-तीन में संलग्न की गई है।

1.30 यह पूछे जाने पर कि कृपया उन प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करें जहां ऐसे पुराने बांधों की विफलता या रिसाव से जीवन-हानि के साथ-साथ आर्थिक-हानि के रूप में तबाही हुई है, विभाग ने उत्तर में निम्नवत बताया:

“इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसे पुराने बड़े बांधों की विफलताओं की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	किस्म	पूरा किए जाने का वर्ष	विफलता वर्ष	विफलता का कारण
1	मध्य प्रदेश	तिग्रा	मैसनरी	1917	1917	ओवरटॉपिंग के बाद स्लाइड

2	महाराष्ट्र	अष्टी	मिट्टी	1883	1933	ढलान की विफलता
3	महाराष्ट्र	खडकवासला	मैसनरी	1880	1961	ओवरटॉपिंग
4	मध्य प्रदेश	जमुनिया	मिट्टी	1921	2002	पाइपिंग के कारण दरार
5	राजस्थान	जसवंत सागर	मिट्टी	1889	2007	पाइपिंग के कारण दरार

1.31 यह पूछे जाने पर कि भारत में विद्यमान बांधों और परियोजनाओं के व्यवहार्य जीवनकाल और कार्य-निष्पादन का आकलन करने वाली प्रणाली क्या है जिसका पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य से बांधों की डि-कमीशनिंग के संबंध में विचार करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“भारत में बांधों को आम तौर पर लगभग 100 वर्षों तक उपयोग की जाने वाली आयु के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बांधों का कार्यात्मक जीवनकाल बढ़ने वाले जलाशयों के अवसादन के साथ-साथ परियोजना लाभों को कम करने के कारण कम हो जाता है। बांधों के व्यवहार्य जीवनकाल और निष्पादन का आकलन करने की कोई प्रणाली नहीं है। बांधों की हेल्थ का मूल्यांकन और उनकी सुरक्षा के लिए इन बांधों का नियमित रखरखाव किया जाता है। रखरखाव कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, मानसून से पूर्व और बाद में नियमित निरीक्षण और बांधों के अनुरक्षण/पुनर्वास संबंधी कार्य किए जाते हैं। इन बांधों का ज्यादातर स्वामित्व राज्य सरकारों/पीएसयू/प्राइवेट एजेंसियों के पास होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में बांधों के ओ एंड एम

कार्यों को अंजाम देती हैं। हालांकि, बांध मालिकों से उनके किसी भी बांध को बंद करने की कोई सूचना/सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई है।

बांध सुरक्षा के महत्व को समझते हुए, वर्ष 2021 में एक बांध सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया है जिससे कि बांधों से संबंधित या आकस्मिक मामलों में निर्दिष्ट बांध निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव प्रदान किया जा सके और बांध विफलता संबंधी आपदाओं की रोकथाम और बांधों के सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने वाली संस्थागत प्रणाली प्रदान की जा सके।

1.32 यह पूछे जाने पर कि भारत में 100 साल से अधिक पुराने कितने बांधों को डी-कमीशन किया गया है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में ऐसे किसी बांध को डी-कमीशन नहीं किया गया है”।

गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनायें

1.33 'नमामि गंगे कार्यक्रम' की शुरुआत से गंगा नदी की सहायक नदियों पर शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को सारणीबद्ध रूप में संस्वीकृत करने, चालू करने और कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति प्रस्तुत करने के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“गंगा की सहायक नदियों पर 53 सीवरेज परियोजनाएं और घाटों और शवदाह गृहों के निर्माण के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 19 सीवरेज परियोजनाएं और घाटों के निर्माण के लिए 1 परियोजना पूरी हो चुकी है”।

उपरोक्त का ब्यौरा अनुबंध- दो और तीन में संलग्न है”।

1.34 विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के दौरान, गंगा नदी की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाओं के मुद्दे पर विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया:

“...अब हमारा जो गंगा मेन स्टैम है, उस पर हमारे प्रोजेक्ट्स सेचुरेशन पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग सभी काम हो चुका है। यूपी में जो काम हो रहा है, वह अब समाप्ति की ओर है। बिहार के प्रोजेक्ट्स में इस साल बहुत बड़ी प्रगति हुई है। कई सारे प्रोजेक्ट्स कमीशन हो रहे हैं। खाली वेस्ट बंगाल अब ऐसा राज्य बचा है, जिसमें अपने प्रोजेक्ट्स कम्पलीट करने में करीब दो साल लगे। हम समझते हैं कि गंगा मेन स्टैम जो है, उसकी समस्याओं में जो मेजर पॉल्यूशन है, उसको अगले कुछ महीनों में बिहार तक, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब हमारा ध्यान गंगा की ट्रिब्यूटरीज की तरफ जा रहा है, जो वर्ष 2021-26 का पीरियड है, इस पर हम कॉन्सन्ट्रेंट करेंगे। एनएमसीजी डीपीआर इनवाइट कर रहा है और उन पर ध्यान दे रहा है...”।

1.35 यह पूछे जाने पर कि क्या ‘नमामि गंगे’ के अंतर्गत गंगा नदी की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में लागत और समय की दृष्टि से वृद्धि देखी गई है, इस पर विभाग ने उत्तर में निम्नवत बताया:

“विभिन्न बाधाओं जैसे सड़क काटने, रेलवे/राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग, भूमि खरीद, वन स्वीकृतियों, स्थलों के परिवर्तन, असामान्य बाढ़ आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने में हुए विलंब के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में देरी पाई गई है। परियोजना को समय पर और निर्धारित लागत के भीतर पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे सचिव (डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर) की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं की नियमित प्रगति समीक्षा बैठकें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के

महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन समूहों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठकें और एनएमसीजी के अधिकारियों द्वारा जिला गंगा परिषदों के क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करना। इन सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और परियोजना को पूरा करने में तेजी आई है।

यमुना नदी की सफाई

1.36 दिल्ली राज्य में बहने वाली यमुना नदी के कुल विस्तार, जो नदी के कुल प्रदूषण भार में योगदान देता है, के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

" दिल्ली में यमुना नदी पल्ला से ओखला तक 22 किलोमीटर की दूरी तक बहती है, जिसमें 18 प्रमुख नालों का बहाव गिरता है"।

1.37 इससे पहले, दिनांक 16.12.2021 को आयोजित एक ब्रीफिंग बैठक के दौरान 'दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन' विषय की जांच के संबंध में विभाग ने समिति को यह बताया कि यद्यपि यमुना नदी का विस्तार दिल्ली में बहुत कम यानि मात्र 22 किलोमीटर है, तथापि, यह नदी में 75 से 80 प्रतिशत प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

1.38 विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में दिनांक 21.02.2023 को हुई बैठक के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एण्ड जीआर) के प्रतिनिधि ने यमुना नदी में प्रदूषण के मुद्दे और इसे नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में समिति को निम्नवत बताया:

"....सर, यमुना के बारे में बात हुई कि यमुना में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और यह दिल्ली के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में होता है तथा इसके बारे में

सरकार का क्या विचार है। यमुना के बारे में हम लोग अधिकाधिक प्रयास कर रहे हैं। इस करंट ईयर में एक बड़े एसटीपी के लिए एनएमसीजी ने फंड दिये हैं और वह चालू हुआ है। जून के अंत तक भारत का सबसे बड़ा एसटीपी, जो कि एनएमसीजी फंड कर रहा है, उसकी कमीशनिंग होगी। यह ओखला में होगा। दो बड़े-बड़े एसटीपीज़ हैं – रिठाला और कोंडली, जिनका अपग्रेडेशन चल रहा है। हमारा मत है कि मार्च या जून तक ये सारे कमीशन हो जाएंगे। उसके बाद यमुना का जो पॉल्यूशन है, उसमें सिग्निफिकेंट कमी आएगी, लेकिन इसमें राज्य सरकार को भी बहुत सारे कदम उठाने हैं। हम लोग साथ मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करके केन्द्र सरकार से पूरी सहायता राज्य सरकार को दी जा रही है ताकि यमुना के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए....”।

1.39 यह पूछे जाने पर कि क्या विशेषकर दिल्ली राज्य में यमुना नदी स्नान के लिए उपयुक्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“ राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत सीपीसीबी द्वारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से 33 स्थानों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता की मानीटरिंग की जाती है।

वर्ष 2019-2021 के दौरान बीओडी की सांद्रता के आधार पर यमुना नदी के जल गुणवत्ता डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि तीनों वर्षों (यानी 2019-2021 से) के दौरान दिल्ली में यमुना नदी में बीओडी की उच्चतम सांद्रता देखी गई है। वर्ष 2020 के दौरान देखी गई अधिकतम सांद्रता 114 मिलीग्राम/ली. है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	वर्ष	बीओडी	
		न्यून.	अधिक.
आउटडोर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड		<3 मिलीग्राम/ली.	
हरियाणा	2019	1.0	14.0
	2020	1.0	9.1
	2021	1.2	21.0
दिल्ली	2019	1.7	63.0
	2020	1.4	114.0
	2021	2.5	83.0
उत्तरप्रदेश	2019	1.9	47.0
	2020	1.8	59.0
	2021	1.9	36.0

इस संबंध में ब्यौरा अनुबंध- चार में दिया गया है।

1.40 जब विशेषकर दिल्ली राज्य में यमुना नदी की सफाई में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में पूछा गया, तो विभाग ने निम्नवत बताया:

“यमुना नदी की सफाई में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

1. शुष्क अवधि के दौरान वजीराबाद में कम प्रवाह।
2. सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का अवैध निर्वहन।
3. नालियों में ठोस कचरे को डालना ।
4. सीईटीपी का अनुचित कामकाज।
5. अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता।”

1.41 जब किसी नदी के लिए ई-प्रवाह की परिभाषा और उसके लाभों के बारे में पूछा गया और यह पूछा गया कि क्या विभाग यमुना नदी, जो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, के लिए ई-प्रवाह की आवश्यकता की शुरुआत करने की योजना बना रहा है, तो विभाग ने निम्नवत बताया:

“इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) (2003) ने “ई-प्रवाह को नदी, आर्द्रभूमि या तटीय क्षेत्र के भीतर ईकोसिस्टम और उनके लाभों को बनाए रखने के लिए प्रदान किए गए जल व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है जहां प्रतिस्पर्धी जल उपयोग हैं और जहां प्रवाह को विनियमित किया जाता है”। पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकता “नदी को उचित स्थिति या पूर्व निर्धारित स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक स्वीकार्य प्रवाह व्यवस्था” है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि नदी की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से, विधिवत रूप से विकास आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

दिनांक 12 मई, 1994 के समझौता ज्ञापन के पैरा 5 में निम्नवत कहा गया है :

‘परिस्थितिकी के लिहाज से पूरे वर्ष ताजेवाला के बहाव की ओर तथा ओखला हेडवर्क्स के बहाव की ओर 10 क्यूमेक तक अपस्ट्रीम भंडारण पूरा होने के अनुपात में एक न्यूनतम प्रवाह बना कर रखा जाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम भंडारण उत्तरोत्तर चरणबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं।

उक्त भंडारण अभी तक नहीं बनाए गए हैं। तथापि, माननीय एनजीटी प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 11-06-2015 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि

हरियाणा राज्य हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्य धारा में सीधे 10 क्यूमेक जल छोड़ेगा और वजीराबाद तक नदी का ई-प्रवाह बनाए रखेगा।

हथिनीकुंड बैराज और ओखला बैराज से जारी किए गए पानी के आंकड़ों के अनुसार, समझौता ज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम 10 क्यूमेक (352 क्यूसी) को पूरे वर्ष डी/एस हथिनीकुंड बैराज और डी/एस ओखला बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है।”

1.42 संबंधित राज्यों के सहयोग से यमुना नदी की सफाई के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के अधिदेश और कार्यकरण के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:

“ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है। सह-बेसिन राज्यों के बीच ओखला बैराज (ऊपरी यमुना) तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में दिनांक 12 मई, 1994 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) का गठन एमओयू के प्रावधान के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 मार्च 1995 के संकल्प संख्या 10 (66)/71-आईटी द्वारा किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य के सृजन के बाद, 2001 में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को भी बोर्ड में शामिल करने के लिए संकल्प को संशोधित किया गया था।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आवंटन को विनियमित करना और बेसिन के लिए जल-मौसम संबंधी

डेटा का रखरखाव करना, न्यूनतम प्रवाह का रखरखाव करना; वाटरशेड प्रबंधन के लिए योजनाओं का अवलोकन; ओखला बैराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

यमुना नदी में आकर मिलने वाले ड्रेनों और सीवर प्रणाली की सफाई संबंधित राज्यों द्वारा की जाती है। हालाँकि, सामान्यतः यमुना जल के बंटवारे/आबंटन से संबंधित अंतर्राज्यीय विवादों और कभी-कभी अमोनियाल स्तर तथा अन्य प्रदूषकों से संबंधित दिल्ली द्वारा उठाए गए मुद्दों को परस्पर सम्मति से हल करने के लिए समय-समय पर यूवाईआरबी बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है।”

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन

1.43 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार परियोजना के सीएडी एंड डब्ल्यूएम घटक के तहत शामिल गतिविधियों को मोटे तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर-संरचनात्मक' उपायों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क) संरचनात्मक उपायों में निम्नलिखित का सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन और निष्पादन शामिल है:

- (i) ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य;
- (ii) फील्ड, मध्यवर्ती और लिंक नालियों का निर्माण;
- (iii) प्रणाली की कमियों का सुधार; तथा (iv) जलजमाव वाले क्षेत्रों का पुनर्वास।

ख) गैर-संरचनात्मक उपायों में सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- (i) पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान;

- (ii) पंजीकृत डबल्यूए को एकमुश्त अवसंरचना अनुदान;
- (iii) जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि, और स्थायी सिंचाई सहभागी पर्यावरण के संबंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूल परीक्षण।

इसके अलावा, सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण के लिए विकल्प के रूप में छिड़काव/ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक परियोजना का कम से कम 10% सीसीए सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाना है। सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना में संप, पंप, एचडीपीई पाइपलाइन घटक और जल अंतरण तथा फील्ड अनुप्रयोगों (स्प्रिंकलर, रेन गन, पिवोट आदि) में दक्षता लाने के लिए आवश्यक उचित उपकरण शामिल हैं। हालांकि, खेत पर व्यक्तिगत रूप से किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उपकरण - जैसे स्प्रिंकलर/ रेन गन/ ड्रिप सेट आदि सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना का हिस्सा नहीं हैं।

1.44 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर के द्वारा समिति को सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएडीएण्डडब्ल्यूएम हेतु बीई प्रावधान 1044 करोड़ रुपये था जिसे घटाकर आरई चरण में केवल 140 करोड़ रुपये (86 प्रतिशत से अधिक की कटौती) कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिये इसे पुनः बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया गया है।

1.45 जब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के अन्तर्गत आरई चरण में भारी कटौती के कारणों के बारे में पूछा गया, तो विभाग ने निम्नवत बताया :

“वर्ष 2016 में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के कार्यान्वयन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ, सीएडी और डब्ल्यूएम का कार्यान्वयन 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक ही सीमित था। तथापि, अब यह बात

सामने आई है कि सीएडी एंड डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन में अडचन है। किसान जमीन दान नहीं करते हैं, या अपने खेतों में काम करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि वे पास की नहर में पानी देखने में सक्षम न हों। दूर-दराज के स्थानों पर हेडवर्क्स या नहरों के पूरा होने की प्रत्याशा में, वे सीएडी एंड डब्ल्यूएम कार्यों की अनुमति नहीं देते हैं, विशेष रूप से सिंचाई कार्यों को पूरा करने की निश्चित समय सीमा के अभाव के कारण। नतीजतन, सीएडी एंड डब्ल्यूएम में काम अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ। इसके अलावा, बजट अनुमान 2022-23 में यह परिकल्पना की गई थी कि वर्तमान सीएडी एंड डब्ल्यूएम योजना में संशोधन के लिए अनुमोदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक प्राप्त किया जाएगा, जिससे सीएडी और डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत और अधिक परियोजनाओं को शामिल किया जा सकता है। इन नई परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 600 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने का अनुमान था। तथापि, व्यय विभाग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुमोदन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, आरई स्तर पर सीएडी और डब्ल्यूएम के परिचय में कमी की गई है।”

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1.46 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्यों के परामर्श से 18 राज्यों में चल रही निन्यानवे (99) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरण) की पहचान की गई, जिन्हें चरणों में पूरा किया जाना था। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता बजटीय संसाधनों के माध्यम से प्रदान की जा रही है जबकि इन परियोजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा एलटीआईएफ के अंतर्गत नाबार्ड से प्रदान

किया जा रहा है। चल रही परियोजनाओं के लिए 2% ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है। इन 99 परियोजनाओं और 7 चरणों (कुल-106) में से 50 परियोजनाओं को राज्यों द्वारा अब तक पूरा किए जाने की सूचना दी गई है। इसके अलावा, शेष परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं की प्रगति 90% से अधिक है और 14 परियोजनाओं की प्रगति 80 से 90% के बीच है। इन 99 परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है। जिसमें से 41.39 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन 31.03.2016 तक कर लिया गया था। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-2022 के दौरान, 24.35 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है। (2016-17: 5.15 लाख हेक्टेयर.; 2017-18: 7.03 लाख हेक्टेयर; 2018-19: 6.10 लाख हेक्टेयर; 2019-20: 3.17 लाख हेक्टेयर; 2020-21: 1.29 लाख हेक्टेयर; 2021-22: 1.60 लाख हेक्टेयर)

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं-
आवंटन और व्यय**

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2022-23	3237.69	1800.00	-*
2023-24	3122.23	-	-

* 31 दिसंबर 2022 तक

1.47 उपर्युक्त सारणी यह दर्शाती है कि 2022-23 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु बजटीय आवंटन 3237.69 करोड़ रूपये (बीई) था जिसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घटाकर आरई चरण में 1800 करोड़ रूपये कर दिया गया था। तथापि, 31 दिसम्बर 2022 तक इस कार्यक्रम के तहत कोई खर्च नहीं किया गया। जब वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाही के

दौरान इतनी महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत एक भी पैसा न खर्च करने के कारण बताने के लिए कहा गया, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत दिनांक 06.02.2023 को व्यय 342 करोड़ रुपये हैं। एआईबीपी के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 13.88 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय को एआईबीपी के तहत वित्तपोषण हेतु अधिक परियोजनाओं को शामिल करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दो राष्ट्रीय परियोजनाओं नामतः लखवार और रेणुका परियोजनाओं को वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया है।”

जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास

1.48 विभाग ने बताया है कि जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास योजना का उद्देश्य जल मौसम विज्ञान स्थलों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से डाटा गुणवत्ता और प्रकम क्षमताओं को सुधारने के लिए डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय जल सूचना प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, यह 120 घंटे की समय-सीमा से प्रभावी बाढ़ चेतावनी और बाढ़ परामर्श जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रयास करती है। इसके अलावा, योजना में दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से तटीय कटाव को रोकने के लिए एकीकृत डाटा बैंक बनाने का विचार है। इन विभिन्न गतिविधियों के लिए, डीडब्ल्यूआरआईएस के तहत केंद्रीय जल आयोग में मौजूदा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रणाली के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है।

बाढ़ पूर्वानुमान की योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस योजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है।

1.49 जब डीडब्ल्यूआरआईएस की कुल कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों समूह) के बारे में पूछा गया और यह पूछा गया कि क्या डीडब्ल्यूआरआईएस में कुल जन शक्ति इसके कार्याकलापों को समुचित रूप से चलाने के लिए पर्याप्त है और रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय, यदि कोई हैं, किए गए हैं, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय के अलावा देश के अधिकांश नदी बेसिनों में सुस्थापित क्षेत्रीय कार्यालय हैं। डीडब्ल्यूआरआईएस के साथ-साथ जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे पीएमकेएसवाई, आरबीएम, एफएमबीएपी, जल निकायों का आरआरआर आदि का प्रबंधन फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। 31.12.2022 तक (तकनीकी और गैर-तकनीकी समूह दोनों) कुल कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है:

क्र.सं.	कर्मचारी का वर्ग	स्वीकृत पद	भरे गए पद
1.	समूह क राजपत्रित	260	169
2.	ग्रुप ख राजपत्रित	345	275
3.	ग्रुप ख अराजपत्रित	768	454
4.	समूह ग	729	516
5.	वर्क चार्ज कर्मचारी	4863*	1803

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के दिनांक 06.06.2022 के पत्र संख्या 11019/6 (भाग-1)/2017-ई-1 के अनुसार वर्क-चार्ज स्टाफ के 3044 पदों को समाप्त कर दिया गया है।*

बाद में, डीडब्ल्यूआरआईएस के विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से साइटों पर फील्ड सेट-अप पर जनशक्ति (तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों) की भारी कमी थी। हालांकि, हाल के वर्ष में एचओ साइटों पर सहायक और पर्यवेक्षी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए प्राप्त अधिदेश से स्थिति में सुधार हुआ है। उन स्थलों और कार्यालयों में अन्य गैर-तकनीकी सेवाओं में भर्ती के लिए भी अनुमोदन प्राप्त हुआ था।

1.50 डीडब्ल्यूआरआईएस और इसके प्रधान कार्यालय में तकनीकी श्रेणी में मानव संसाधन की कमी के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने समिति को निम्नवत बताया:

“जी हां, दूरस्थ स्थानों में स्थित एचओ साइटों के प्रबंधन में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है और जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के दिनांक 06.06.2022 के पत्र संख्या 11019/6 (भाग -1)/2017-ई-1 के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के साथ समाप्त हो रही है। हालांकि, हाल के वर्षों में एचओ साइटों पर सहायक और पर्यवेक्षी सेवाओं की आउटसोर्सिंग का आदेश प्राप्त होने से स्थिति में सुधार हुआ है।”

भाग - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों को 09 फरवरी, 2023 को सदन के सभापटल पर रखा गया। समिति ने जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों(2023-24) की गहन जांच की। अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, समिति ने विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया और विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तरों की सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल की, जिससे समिति विभाग के कामकाज के साथ-साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझ पाई। इस पृष्ठभूमि में, समिति अब 2023-2024 के लिए विभाग की अनुदानों की मांगों के कुछ विशिष्ट तत्वों की जांच करेगी।

अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

2.1 समिति नोट करती है कि विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए 20054.67 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं जिसमें राजस्व खंड के अंतर्गत 19694.19 करोड़ रुपये और पूंजी खंड के अंतर्गत 360.48 करोड़ रुपये शामिल हैं। समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभाग ने 22673.53 करोड़ रुपये की मांग की थी, और, 20054.67 करोड़ रुपये (बीई) के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) आवंटन की तुलना में जो कि 18967.88 करोड़ रुपये का था, वित्तीय वर्ष (बीई) 2023-24 के लिए 20054.67 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन में लगभग 5.72% की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के राजस्व प्रावधान (बीई) जो कि 18548.05 करोड़ रुपये का था, की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व प्रावधान (बीई) में 1146.14 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। जबकि पूंजीगत खंड के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के प्रावधान (बीई) जो कि 419.83 करोड़ रुपये का था, वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन में 59.35 करोड़ रुपये की कमी की गई है। समिति पाती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 18967.88

करोड़ रुपये के बजट अनुमान प्रावधान में भारी कमी की गई थी और संशोधित अनुमान (आरई) के चरण (18967.88 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन के 26.19% की गिरावट) में 14000 करोड़ रुपये रखा गया था। समिति पाती है कि यहां तक कि घटी हुई राशि का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान यानी 31 दिसंबर 2022 तक केवल 7671.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। समिति की राय है कि शेष राशि जो कि 6328.79 करोड़ रुपये है, (14000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का 45.20%), शायद ही वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में खर्च की जाएगी। समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए विभाग के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि निधियों का कम उपयोग करने के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन में कमी आई और इसके लिए एकल नोडल खाते की नई वित्तीय प्रणाली को उतरदायी ठहराया जिसमें राज्यों को निधि चार किस्तों में जारी की जाएगी, जबकि पहले ये दो किस्तों में होता था। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि विभाग की अधिकांश योजनाएं, विशेष रूप से पीएमकेएसवाई जैसी सिंचाई योजनाएं जहां अक्टूबर से मई-जून तक काम किया जाता है और कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) जहां जनवरी से मार्च तक काम किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली के कारण प्रभावित हुए हैं क्योंकि ये योजनाएँ 4 किस्तों के बजाय 2 किस्तों की प्रणाली के अनुपालन में प्रकृतिगत रूप से अधिक हैं। समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया के तहत, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निधियों को सेंट्रल नोडल अकाउन्ट (सीएनए) के माध्यम से और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए सिंगल नोडल अकाउन्ट (एसएनए) के माध्यम से भेजा जाना है। विभाग ने सूचित किया कि सीएनए के अंतर्गत निधियां बिना किसी कठिनाई के भेजी जा रही हैं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियां अपेक्षाकृत अप्रभावित होती हैं। एसएनए के तहत, कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्ष होने के कारण, राज्य सरकारें नए निधि प्रवाह तंत्र को अपनाने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। समिति यह देखते हुए कि अधिकांश राज्य अब तक 2 से अधिक किस्तों को जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं; चाहती है कि विभाग इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाए और उन्हें

एसएनए के अंतर्गत नई प्रणाली को लागू करने में, विशेष रूप से सिंचाई योजनाओं में, व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराए, और इन योजनाओं के लिए छूट मांगें ताकि बजटीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। समिति इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से स्पष्ट रूप से अवगत होना चाहेगी।

(सिफ़ारिश संख्या 1)

योजनाओं का कार्यान्वयन

2.2 यद्यपि समिति यह जानकर प्रसन्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 के उनके बजटीय प्रावधानों की तुलना में नमामि गंगे, अटल जल और नदियों को परस्पर जोड़ने जैसी विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बजटीय आवंटन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 43%, 43% और 150% तक की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। फिर भी, समिति पाती है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), फरक्का बैराज परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज जैसे कुछ कार्यक्रमों में वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनके बजट अनुमान प्रावधानों में क्रमशः 50%, 35.5%, 37.5% और 50% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। विभाग ने बजटीय प्रावधानों में गिरावट के विभिन्न कारण गिनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डीआरआईपी में सलाहकार की नियुक्ति में देरी और ऐसी कटौती के लिए माइक्रोप्रोसेसर चिप्स आदि की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में निधियों की कम आवश्यकता शामिल है। विभाग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण बजटीय आवंटन में कमी आई है, समिति चाहती है कि विभाग योजना को विवेकपूर्ण और वास्तविक रूप से तैयार करने के लिए सभी तैयारियां करें ताकि उपर्युक्त कारणों से ऐसी उल्लेखनीय योजनाओं को बाधित न किया जा सके।

(सिफ़ारिश संख्या 2)

जल क्षेत्र में चुनौतियां

2.3 समिति नोट करती है कि देश में विश्व की 18% आबादी और 18% मवेशियों की आबादी है, लेकिन विश्व के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% है। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश के कुछ हिस्सों में जल स्तर में कमी देखी गई है और जलवायु परिवर्तन ने जल संसाधनों पर दबाव को और बढ़ा दिया है। समिति पाती है कि बढ़ती आबादी, तेजी से औद्योगिकीकरण, बढ़ते शहरीकरण के साथ, जल की मांग और इसकी आपूर्ति के बीच के अंतर से स्थिति और खराब होगी। इसके अलावा, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, समिति पाती है कि यद्यपि वर्ष 2025 में उपयोग योग्य जल की अनुमानित मात्रा 1122 बीसीएम होगी; जबकि सभी क्षेत्रों से (सिंचाई, पेयजल, उद्योग, ऊर्जा, अन्य) जल की मांग 843 बीसीएम होगी जिसके परिणामस्वरूप यह 279 बीसीएम अधिक होगी, हालाँकि, पानी की अधिकता का यह तथ्य बहुत अधिक महत्व का नहीं है क्योंकि देश में उपयोग करने योग्य पानी का बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र-बराक बेसिन में विशाल स्थानिक भिन्नता के कारण है। इसके अलावा, जल मांग प्रक्षेपण के अनुसार, वर्ष 2050 में 58 बीसीएम की कमी होगी जब उपयोग योग्य जल की उपलब्धता वर्ष 2025 में यानी 1122 बीसीएम के समान होने का अनुमान है, हालांकि, सभी क्षेत्रों से जल की मांग बढ़कर 1180 बीसीएम होने का अनुमान है।

जल क्षेत्र की चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, समिति का यह विचार है कि विभिन्न क्षेत्रों में जल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का यह उचित समय है। इसके लिए बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है जैसे कि जल संरक्षण हेतु कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, फसल विविधीकरण, कम जल खपत वाली फसलों को लगाना, सूखे झरनों को पुनर्जीवित करना, बाढ़ जल का संचयन, वर्षा जल का बेहतर रिसाव सुनिश्चित करना आदि। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को आपसी सहयोग से देश के जल संकट का व्यवहार्य और स्थायी समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा, समिति का यह विचार है कि किसी भी

कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। समिति इस बात से परिचित है कि केंद्र सरकार ने देश के जल संसाधनों को बढ़ाने हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शुरू करने जैसे कई कदम उठाए हैं। अब समय आ गया है कि आम लोग भी सीमित जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। अतः समिति विभाग को यह सुझाव देना चाहती है कि जन जागरूकता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कड़ी निगरानी के साथ एक समर्पित कोष बनाए जिससे जन जागरूकता कार्यक्रमों को गति दी जा सके। इस प्रकार उठाए गए कदमों से समिति को भी अवगत कराया जाये।

(सिफारिश संख्या 3)

उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण

2.4 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से 'उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण (एनईडब्ल्यूएमए) विधेयक, 2023' शीर्षक से एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है। विधेयक के पुरस्थापन हेतु प्राप्त केबिनेट नोट इस समय सरकार के विचारधीन है। समिति महसूस करती है कि एक बार विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सतही और भूजल संसाधनों के बीच तालमेल को ध्यान में रखते हुए एकीकृत तरीके से ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। बेसिन के सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री प्राधिकरण की शासी परिषद का हिस्सा होंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा, शासी परिषद की संरचना के माध्यम से बेसिन के राज्यों के पास एनईडब्ल्यूएमए के मामलों में अधिक दखल होगा। अपने पूर्ववर्ती संगठन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जो कि मूल रूप से बाढ़ नियंत्रण के एक ही विषय से संबंधित निकाय था, के विपरीत यह एक बहु-विषयक निकाय होगा यह एकीकृत इकाई के रूप में अन्य जल निकायों जैसे - झीलों आदि और ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के साथ उनके संबंध पर विचार करेगी। समिति, सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण के

गठन हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करती है और विभाग से यह आग्रह करती है कि वह समग्र रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु संसद द्वारा एनईडब्ल्यूएमए विधेयक पारित करने के संबंध में सभी प्रयास करे।

(सिफारिश संख्या 4)

मिशन अमृत सरोवर

2.5 समिति यह पाती है कि मौजूदा मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजनाओं के अलावा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया है। विभाग ने सूचित किया है कि जिन जल निकायों को आरआरआर योजना के तहत शामिल किया गया है और उनको अगस्त 2023 तक पूरा किए जाने की संभावना है, इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अमृत सरोवर के रूप में शामिल किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है। समिति नोट करती है कि आरआरआर योजना के तहत कुल 608 जल निकायों को अमृत सरोवर के रूप में कार्यान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है। इनमें से अब तक 211 जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। समिति यह भी नोट करती है कि अमृत सरोवर पहल के तहत कोई अलग समर्पित निधि प्रस्तावित नहीं है। जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी योजना के तहत योजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। समिति यह नोट करती है कि मणिपुर राज्य में अमृत सरोवर से संबंधित कार्यों का विवरण अभी तक अमृत सरोवर पोर्टल पर नहीं जोड़ा गया है। उपयोगी परिणामों के लिए बेहतर निगरानी को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह न केवल मणिपुर के साथ बल्कि उन सभी राज्यों के साथ भी समन्वय करे जहां मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है ताकि अमृत सरोवर पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान/अद्यतन की जा सके।

(सिफारिश संख्या 5)

अटल भूजल योजना (अटल जल)

2.6 समिति नोट करती है कि अटल भूजल योजना (अटल जल) को सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 81 जिलों के 222 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8,774 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में अप्रैल, 2020 से पांच वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है। विभाग ने यह सूचित किया कि विश्व बैंक ने योजना की मध्यावधि समीक्षा की है और इसके निष्कर्षों के अनुसार, कार्यक्रम सही ढंग से चल रहा है और यह अपनी समापन तिथि यानी 31 मार्च, 2025 तक अपने उद्देश्यों को हासिल कर लेगा। इसके अलावा, विभाग ने समिति को बताया है कि योजना के परिणामों और इसके कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर भविष्य में इस कार्यक्रम में और अधिक जल की कमी वाले क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस योजना में अब तक उपर्युक्त राज्यों को शामिल किया गया है, जो भारत में जल-की कमी वाले (अति-शोषित, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण) ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37 प्रतिशत है, समिति महसूस करती है कि विभाग को इस योजना के तहत शेष क्षेत्रों/राज्यों को कवर करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि देश के शेष 63 प्रतिशत जल-की कमी वाले ब्लॉकों को कवर किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि जिन राज्यों में अटल भूजल योजना शुरू की गई है, उनमें कुछ जल की कमी वाले ब्लॉकों का चयन किया गया है जबकि कुछ को छोड़ दिया गया है, इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग सक्रिय कार्रवाई करे और तदनुसार अटल भूजल योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित करे ताकि चयनित राज्यों में जहां यह योजना चालू है, जल की कमी वाले सभी ब्लॉकों को इस योजना के तहत लाया जा सके।

(सिफारिश संख्या 6)

भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना

2.7 समिति पाती है कि भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक सतत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। समिति नोट करती है कि इस योजना को हाल ही में 2021-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। स्कीम के घटकों में शामिल हैं (i) घटक I: निगरानी, मूल्यांकन, प्रबंधन और विनियमन और (ii) घटक II: प्रौद्योगिकीय उन्नयन (मशीनरी और उपकरण) के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) नामक एक परियोजना को भी अनुमोदित किया गया है। समिति नोट करती है कि ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम के लिए ब.अ. आवंटन में साल दर साल संशोधित अनुमान स्तर पर भारी कमी की गई है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 में, बजट अनुमान 275 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 170 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसी तरह, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 375 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 315 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जबकि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर 2022 तक वास्तविक व्यय 124.84 करोड़ रुपये (315 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन का 39.63% हिस्सा) है। समिति को आशंका है कि 315 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से शेष राशि यानी 190.16 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में मुश्किल से ही खर्च हो पाएगी। विभाग ने तर्क दिया है कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय प्रावधानों में लगातार कमी आई है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान की योजना व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन में प्रस्तावित गतिविधियों के अनुसार बनाई गई थी। जैसा कि ईएफसी ने 31 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (घटक I) के तहत अधिकांश गतिविधियों को एक परियोजना के रूप में किया जाना चाहिए, इन गतिविधियों को पीआईबी के तहत

अलग से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था और जीडब्ल्यूएम एंड आर योजना के तहत आरई को कम कर दिया गया है। हालांकि, जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम पर पीआईबी परियोजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान में वृद्धि की गई है, फिर भी पीआईबी के तहत व्यय शुरू किया जाना है क्योंकि परियोजना को हाल ही में मंजूरी मिली है। इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि उपर्युक्त परियोजना को मंजूरी मिल गई है और कोविड के प्रभाव में भी गिरावट आई है, इसलिए समिति चाहती है कि विभाग योजना तैयार करे और जहां तक संभव हो विवेकपूर्ण तरीके से बजट आवंटित करे ताकि देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक आदान प्रदान करने वाली इस योजना के उद्देश्य प्रभावित ना हो।

(सिफारिश संख्या 7)

2.8 समिति पाती है कि विभाग ने भूजल के विनियमन और विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2005, जो एक मॉडल विधेयक था, परिचालित किया था। समिति ने आगे पाया कि अब तक केवल 15 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक को अधिनियमित और कार्यान्वित किया है। समिति नोट करती है कि यद्यपि विभाग नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है और उनसे मॉडल विधेयक अधिनियमित करने और जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह कर रहा है, परन्तु कई राज्यों ने अभी तक मॉडल विधेयक अधिनियमित नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों की आशंकाओं और सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडल विधेयक में उपयुक्त संशोधन करे जिससे शेष राज्यों द्वारा मॉडल विधेयक को अधिनियमित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(सिफारिश संख्या 8)

बाँध सुरक्षा

2.9 समिति नोट करती है कि बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर -2019 के अनुसार, भारत में 234 कार्यात्मक बड़े बांध हैं जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। समिति ऐसे पुराने बड़े बांधों की विफलताओं के बारे में विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची पर ध्यान देती है जो इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश में टिगरा परियोजना (वर्ष 1917 में पूरा होना और वर्ष 1917 में ही विफलता), महाराष्ट्र में अष्टी परियोजना (1883 में पूरा होना और 1933 में विफलता), महाराष्ट्र में खडकवासला परियोजना (1880 में पूरा होना और 1961 में विफलता), मध्य प्रदेश में जमुनिया परियोजना (1921 में पूरा होना और 2002 में विफलता) और राजस्थान में जसवंत नगर परियोजना (1889 में पूरा होना और 2007 में विफलता)। समिति पाती है कि बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर - 2019 के अनुसार उनमें से कुछ 300 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अब तक इनमें से किसी भी बांध को बंद नहीं किया गया है, हालाँकि विभाग ने कहा है कि बांध सामान्य रूप से 100 वर्ष की उपयोगी आयु के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और जलाशयों में लगातार (गाद जमा होने) से उनका कार्यात्मक जीवन भी कम हो जाता है तथा परियोजना के लाभों में कमी आती है। विभाग ने आगे सूचित किया है कि बांधों के व्यवहार्य जीवनकाल और कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और ये बांध ज्यादातर राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी एजेंसियों के स्वामित्व में हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) का कार्य करते हैं। इसके अलावा, बांध सुरक्षा के महत्व को समझते हुए, बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्ष 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया है। पूर्वगामी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग से बांधों के जीवन और प्रचालनों का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करने के लिए ठोस प्रयास करने और

राज्यों को उन बांधों को बंद करने के लिए प्रेरित करने की सिफारिश करती है जो अपने जीवनकाल को समाप्त कर चुके हैं और किसी भी विफलता के मामले में जीवन और अवसंरचना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश संख्या 9)

गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाएं

2.10 यद्यपि समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर अधिकतर कार्य पूरा कर लिया गया है, फिर भी समिति पाती है कि पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ परियोजनाएं बची हुई हैं जो 2 वर्षों के भीतर पूरी हो जाएंगी और अब विभाग का ध्यान गंगा नदी की सहायक नदियों पर होगा। समिति नोट करती है कि गंगा नदी की सहायक नदियों पर 53 सीवरेज परियोजनाओं और घाटों और शवदाह गृहों के निर्माण के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 19 सीवरेज परियोजनाएं और घाटों के निर्माण के लिए 1 परियोजना पूरी हो चुकी है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, समिति पाती है कि परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में अत्यधिक देरी विभिन्न बाधाओं जैसे: सड़क काटने, रेलवे/राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग, भूमि खरीद, वन संबंधी मंजूरी, स्थलों के परिवर्तन, असामान्य बाढ़, आदि के कारण होती है। समिति का विचार है कि नमामि गंगे कार्यक्रम सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, तथापि, नदी पुनरूद्धार केवल तभी संभव है जब इसे समग्र रूप में देखा जाए और गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों की स्वच्छता और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा जाए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को गंगा नदी की सहायक नदियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और उन राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए जहां इन परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है ताकि गंगा पुनरूद्धार के लिए तेजी से कार्य पूरा करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

(सिफारिश संख्या 10)

यमुना नदी की सफाई

2.11 गंगा नदी की सफाई के संबंध में, समिति 16.12.2021 को आयोजित 'दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन' विषय पर हुई ब्रीफिंग बैठक को याद करना चाहेगी। उक्त बैठक के दौरान, विभाग द्वारा समिति को यह बताया गया कि यद्यपि यमुना नदी का विस्तार दिल्ली में बहुत कम यानि मात्र 22 किलोमीटर है, तथापि, यह नदी में 75 से 80 प्रतिशत प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। समिति नोट करती है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा आउट डोर बाथिंग (ऑरगनाइज्ड) के लिए यथा निर्धारित कतिपय मानदंडों के अनुसार, विशेष रूप से दिल्ली राज्य में यमुना नदी के स्नान की गुणवत्ता वर्ग-बी श्रेणी में आती है। मानदंडों में से एक बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) है जो स्नान प्रयोजन के लिए 3.0 मिलीग्राम / लीटर से कम होना चाहिए। समिति पाती है कि 2019-2021 के दौरान दिल्ली में यमुना नदी में बीओडी की मात्रा बहुत अधिक थी। 2020 के दौरान अधिकतम सांद्रता 114 मिलीग्राम/लीटर पाई गई जोकि यमुना नदी में स्नान के लिए 3 मिलीग्राम / लीटर बीओडी से कम की निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। इस संबंध में, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को जानकारी दी कि दिल्ली में कई एसटीपीज़ जल्दी चालू किए जाएंगे, जो यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों और उसकी भूमिका पर जोर दिया। समिति, इसके अलावा, नोट करती है कि यमुना नदी की सफाई के लिए प्रमुख बाधाएं शुष्क अवधि के दौरान वजीराबाद में कम प्रवाह, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का अवैध बहाव, नालियों में ठोस कचरे को डालना, सीईटीपी का ठीक से काम न करना और अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता है। यमुना नदी के दिल्ली में आने वाले खण्ड जो पूरी यमुना नदी को प्रमुख रूप से प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है, की भूमिका को ध्यान में रखते हुए समिति की राय है कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों निकट सहयोग से कार्य करें और

ऊपर उल्लिखित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करके सभी प्रयास करें ताकि यमुना नदी का कायाकल्प साकार हो सके।

(सिफारिश संख्या 11)

यमुना नदी के लिए ई-प्रवाह

2.12 समिति पाती है कि सह-बेसिन राज्यों के बीच ओखला बैराज (ऊपरी यमुना) तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में दिनांक 12 मई, 1994 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। 'समझौता ज्ञापन में यह निर्धारित किया गया है कि 'पारिस्थितिकी के लिहाज से पूरे वर्ष ताजेवाला तथा ओखला हेडवर्क्स के डाउनस्ट्रीम में 10 क्यूमेक तक अपस्ट्रीम भंडारण पूरा होने के अनुपात में एक न्यूनतम प्रवाह बना कर रखा जाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम भंडारण चरणबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाए जाते हैं।' इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्य धारा में सीधे 10 क्यूमेक जल छोड़ेगा और वजीराबाद तक नदी का ई-प्रवाह बनाए रखेगा। समिति नोट करती है कि छोड़े गए पानी के आंकड़ों के अनुसार, समझौता ज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम 10 क्यूमेक (352 क्यूसेक) को पूरे वर्ष हथिनीकुंड बैराज और ओखला बैराज के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है।

समिति पाती है कि यमुना नदी में पूरे साल न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए राज्यों के बीच 1994 के समझौता ज्ञापन द्वारा निर्धारित भंडारण अभी तक नहीं बनाए गए हैं। यहां तक कि विभाग ने बताया है कि शुष्क अवधि के दौरान वजीराबाद में कम प्रवाह यमुना नदी की सफाई में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग संबंधित राज्यों के सहयोग से भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए सारे प्रयास करे । इसके अलावा, समिति आग्रह करती है कि विभाग गंगा नदी की तर्ज पर यमुना नदी के

लिए ई-प्रवाह बनाने पर विचार करे ताकि नदी की स्वच्छता और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा जा सके।

(सिफारिश संख्या 12)

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम)

2.13 समिति ने पाया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएडी एंड डब्ल्यूएम के लिए बीई प्रावधान 1044 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर सिर्फ 140 करोड़ रुपये (86 फीसदी से अधिक की कमी) कर दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, इसे फिर से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया गया है। संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटनों में भारी गिरावट के मुद्दे पर विभाग ने समिति को सूचित किया है कि वर्ष 2016 में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के कार्यान्वयन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ, सीएडी एंड डब्ल्यूएम का कार्यान्वयन 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक ही सीमित था। हालांकि, सीएडी एंड डब्ल्यूएम में काम इसकी बाधाओं के कारण अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा क्योंकि जब तक किसान पास की नहर में पानी नहीं देख लेते हैं, जमीन दान नहीं करते हैं या अपने खेतों में काम की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा, समिति ने पाया कि सीएडी एंड डब्ल्यूएम में संशोधन की मंजूरी, जो कार्यक्रम के तहत और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के मध्य तक प्राप्त होने की उम्मीद थी, अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि और सतत सिंचाई भागीदारी पर्यावरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीएडी एंड डब्ल्यूएम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को नई परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाना चाहिए और संशोधित अनुमान (आरई) चरण में आवंटन भी उपयुक्त रूप से बढ़ाना चाहिए ताकि वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी महत्वपूर्ण योजना के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, समिति विभाग से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का

आग्रह करती है ताकि किसानों को सीएडी और डब्ल्यूएम के लाभों से अवगत कराया जा सके और योजना को पूरे तरीके से स्वीकार किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, यदि संभव हो, तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएडी और डब्ल्यूएम में बदलाव पर विचार किया जाए। इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से समिति अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश संख्या 13)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

2.14 समिति ने नोट किया है कि 18 राज्यों में चल रही निन्यानवे (99) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरणों) की पहचान वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यों के परामर्श से की गई थी, जिन्हें चरणों में पूरा किया जाना था। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता बजटीय संसाधनों के माध्यम से प्रदान की जा रही है जबकि इन परियोजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा एलटीआईएफ के अंतर्गत नाबार्ड से प्रदान किया जा रहा है। इन 99 परियोजनाओं और 7 चरणों (कुल-106) में से 50 परियोजनाओं को अब तक पूरा किए जाने की सूचना दी गई है। इसके अलावा, शेष परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं की प्रगति 90% से अधिक है और 14 परियोजनाओं की प्रगति 80 से 90% के बीच है। इन 99 परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 41.39 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन 31.03.2016 तक कर लिया गया था। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-2022 के दौरान, 24.35 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है। समिति ने विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पाया है कि वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन 3237.69 करोड़ रुपये (बीई) था, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, 31 दिसंबर, 2022 तक, इस कार्यक्रम के तहत कोई व्यय नहीं किया गया है। समिति नोट करती है कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान इतनी महत्वपूर्ण योजना के तहत एक पैसा भी

खर्च नहीं करने के कारणों के संबंध में उनके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। देश के कृषि क्षेत्र के लिए एआईबीपी के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को बजटीय निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत व्यय की गति और निधियों के प्रवाह की स्वतः स्फूर्त निगरानी करनी चाहिए। समिति, विभाग से उन कारकों/कारणों जिसने उसे निधियों का उपयोग करने से रोका है की पहचान करने और तदनुसार उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने का भी आग्रह करती है।

(सिफारिश संख्या 14)

जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)

2.15 समिति नोट करती है कि जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास योजना का उद्देश्य जल मौसम विज्ञान स्थलों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से डाटा गुणवत्ता और प्रकम क्षमताओं को सुधारने के लिए डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय जल सूचना प्रणाली तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, यह 120 घंटे की समय-सीमा से प्रभावी बाढ़ चेतावनी और बाढ़ परामर्श जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, योजना में दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से तटीय कटाव से निपटने के लिए एकीकृत डाटा बैंक बनाने का विचार है। समिति नोट करती है कि बाढ़ पूर्वानुमान की योजना का वित्त वर्ष 2018-19 से इस योजना के साथ विलय कर दिया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे पीएमकेएसवाई, आरबीएम, एफएमबीएपी, जल निकायों की आरआरआर आदि के साथ डीडब्ल्यूआरआईएस का 6965 की कुल स्वीकृत कर्मचारियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों समूहों) की संख्या के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है। इन 6965 पदों में से 4863 पद कार्य

प्रभारित कर्मचारी हैं। इसके अलावा, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के इन 4863 पदों में से 3044 पद समाप्त कर दिए गए हैं। 31.12.2022 तक, केवल 3217 पद भरे गए हैं। समिति ने पाया कि डीडब्ल्यूआरआईएस की विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष रूप से स्थलों पर फील्ड सेट-अप पर जनशक्ति (तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों) की भारी कमी थी। तथापि, हाल के वर्ष में एचओ स्थलों पर सहायक और पर्यवेक्षी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए प्राप्त आदेश से स्थिति में सुधार हुआ है। उन स्थलों और कार्यालयों में अन्य गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए भर्ती के लिए भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जल संसाधनों के संबंध में एक मजबूत सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने में डीडब्ल्यूआरआईएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के सुचारु संचालन के लिए रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने की सिफारिश करती है। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पहले से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि इस वजह से योजना के कार्य प्रभावित न हों।

(सिफारिश संख्या 15)

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2023

23 फाल्गुन 1944 (शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल

सभापति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 को हुई पाँचवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1130 बजे से 1400 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल – सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री गुमान सिंह दामोर
4. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
5. श्री सुनील कुमार
6. श्री निहाल चन्द
7. श्री हंसमुखभाई एस.पटेल
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
9. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

10. संत बलबीर सिंह
11. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक

साक्षी

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

1. श्री पंकज कुमार - सचिव
2. सुश्री देबाश्री मुखर्जी - विशेष सचिव
3. सुश्री ऋचा मिश्रा - जेएस एंड एफए
4. श्री सुबोध यादव - संयुक्त सचिव (प्रशासन)
5. श्री आनंद मोहन - संयुक्त सचिव (एन आर सी डी)

6.	श्री अशोक सीताराम गोयल	-	आयुक्त (एसपीआर)
7.	श्री अतुल जैन	-	आयुक्त (एफएम)
8.	श्री सुयश कमल सिन्हा	-	आयुक्त (बी एंड बी)
9.	श्री अनुज कंवल	-	आयुक्त (सीएडी)
10.	श्री सुख राम मीणा	-	एडीजी (स्टैट)
11.	श्री आशीष कुमार	-	निदेशक (जीडब्ल्यू)
12.	श्री विजय सरन	-	चीफ इंजीनियर, डैम सेफ्टी आर्गेनाइजेशन

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

श्री कुशविंदर वोहरा - अध्यक्ष

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड

श्री सुनील कुमार - अध्यक्ष

राष्ट्रीय जल मिशन

सुश्री अर्चना वर्मा - (ए. स. व म. डी.)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

1.	श्री जी. अशोक कुमार	-	डायरेक्टर जनरल, एनएमसीजी
2.	श्री हिमांशु बडोनी	-	ईडी
3.	श्री डी. पी. मथुरिया	-	ईडी
4.	श्री भास्कर दासगुप्ता	-	ईडी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय- संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए हुई समिति की बैठक में सदस्यों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और वित्त वर्ष 2023-24 की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और निधियों के आवंटन के संबंध में अपने निवेदन/प्रस्तुति देने हेतु विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तत्पश्चात, विभाग के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों की प्रस्तुति के बाद, सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा: -

- (i) बजटीय आवंटन का कम उपयोग और इसके कारण;
- (ii) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ कार्यक्रमों में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन में भारी कमी;
- (iii) विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में देरी;
- (iv) अटल भूजल योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता;
- (v) अटल भूजल योजना के दायरे का विस्तार करने और अटल भूजल योजना के तहत अत्यधिक शोषित ब्लॉकों को शामिल करने की आवश्यकता;
- (vi) बाढ़ के दौरान पानी को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करने की जरूरत;
- (vii) यमुना नदी का प्रदूषण और नदी के कुल प्रदूषण में यमुना के दिल्ली खंड का योगदान;
- (viii) नदियों को आपस में जोड़ने का मुद्दा;
- (ix) जल निकायों का प्रदूषण;
- (x) कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण;
- (xi) जल संरक्षण के बारे में जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है;
- (xii) नमामि गंगे कार्यक्रम और इसे पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो;
- (xiii) नदियों को प्रदूषित करने वाली अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता;
- (xiv) महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज; और
- (xv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी का कार्यान्वयन।

5. सभापति ने प्रस्तुतीकरण और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों धन्यवाद किया। उन्होंने सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सदस्यों द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके तत्काल उत्तर नहीं दिए जा सके और जिनको विस्तृत सांख्यिकीय उत्तरों की सचिवालय को यथाशीघ्र आवश्यकता होती है।

6. साक्ष्य पूरा हुआ।

(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

7. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की मंगलवार, 14 मार्च, 2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री गुमान सिंह दामोर
6. डॉ. के. जयकुमार
7. श्री धनुष एम. कुमार
8. श्री सुनील कुमार
9. श्री हंसमुखभाई एस.पटेल
10. श्रीमती अगाथा के. संगमा
11. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
12. श्री चन्दन सिंह
13. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

14. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
15. श्रीमती मौसम नूर
16. श्री अरुण सिंह
17. संत बलबीर सिंह
18. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने (एक) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (दो) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (तीन) भूजल: एक मूल्यवान किन्तु घटता हुआ संसाधन विषय के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने अपनी ओर से इन प्रतिवेदनों को चालू बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध-एक

100 साल से अधिक पुराने बड़े बांध (1922 में या उससे पहले निर्मित) - एनआरएलडी, 2019 के अनुसार

(31 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बांध का नाम	पूरा किए जाने का वर्ष	राज्य
1.	कुंभूम	1500	आंध्र प्रदेश
2.	डोनडापडु टैंक	1910	आंध्र प्रदेश
3.	मोपैड जलाशय	1921	आंध्र प्रदेश
4.	सीथाचेरु	1922	आंध्र प्रदेश
5.	सिद्धपुरम टैंक	1919	आंध्र प्रदेश
6.	थोटापल्ली बैराज	1908	आंध्र प्रदेश
7.	खड्गपुर झील	1876	बिहार
8.	अमाचुवा टैंक	1917	छत्तीसगढ़
9.	डेर्रीटोला	1910	छत्तीसगढ़
10.	धनरस	1911	छत्तीसगढ़
11.	खापरी टैंक	1908	छत्तीसगढ़
12.	कुरुद	1909	छत्तीसगढ़
13.	पिंझावन टैंक	1909	छत्तीसगढ़
14.	तांदुला टैंक	1921	छत्तीसगढ़
15.	अधिया	1902	गुजरात
16.	अजवा	1892	गुजरात
17.	अलनसागर	1901	गुजरात
18.	आनंदपार	1907	गुजरात

19.	भधका	1868	गुजरात
20.	चिमनाबाई-झील	1906	गुजरात
21.	धामेली	1914	गुजरात
22.	धनोरा	1911	गुजरात
23.	डॉसवाडा	1912	गुजरात
24.	फकीरवाडी	1913	गुजरात
25.	हंसथल	1902	गुजरात
26.	खंभाला	1901	गुजरात
27.	कुवडवा	1908	गुजरात
28.	लिमला	1912	गुजरात
29.	मोल्डी	1902	गुजरात
30.	मोटा अंकाडिया	1903	गुजरात
31.	मोटा बांधरिया	1911	गुजरात
32.	मुवालिया	1911	गुजरात
33.	पेनली	1906	गुजरात
34.	पेनलिया	1882	गुजरात
35.	पिछवी	1916	गुजरात
36.	राजावदला	1902	गुजरात
37.	रामधनी	1914	गुजरात
38.	रेवनिया	1882	गुजरात
39.	सावली	1910	गुजरात
40.	वदातालव	1916	गुजरात
41.	वैंगरोली	1912	गुजरात

42.	वेरी	1900	गुजरात
43.	विजरखी	1901	गुजरात
44.	ज़िंजरी	1912	गुजरात
45.	बोरनाकानिव टैंक	1892	कर्नाटक
46.	दीपम्बुडीकेरे टैंक	1906	कर्नाटक
47.	हेसाराघट्टा जलाशय	1896	कर्नाटक
48.	कदाबा टैंक	1906	कर्नाटक
49.	कोट्टुर टैंक	1888	कर्नाटक
50.	कुनिगल डोडाकेरे टैंक	1906	कर्नाटक
51.	मदागा टैंक (पुराना)	1908	कर्नाटक
52.	मदागामासुर टैंक	1908	कर्नाटक
53.	मैदाल अमानीकेरे टैंक	1895	कर्नाटक
54.	मावथुर टैंक	1908	कर्नाटक
55.	निडासाल टैंक	1906	कर्नाटक
56.	निट्टूरटैंक	1906	कर्नाटक
57.	रानीकेरे टैंक	1907	कर्नाटक
58.	थॉनूर टैंक	1000	कर्नाटक
59.	वनिविलासा सागर बांध	1907	कर्नाटक
60.	पेरियार	1895	केरल
61.	एडनेर	1911	मध्य प्रदेश
62.	अहमदपुर	1916	मध्य प्रदेश
63.	एमा नाला (पुराना)	1916	मध्य प्रदेश
64.	अमही	1917	मध्य प्रदेश

65.	अमेथा	1918	मध्य प्रदेश
66.	अंटलवासा	1908	मध्य प्रदेश
67.	बाडेरा	1920	मध्य प्रदेश
68.	बैसली	1919	मध्य प्रदेश
69.	बेसिनखार	1909	मध्य प्रदेश
70.	बेलगांव	1909	मध्य प्रदेश
71.	भरोली	1916	मध्य प्रदेश
72.	बीरपुर	1908	मध्य प्रदेश
73.	बीथली	1910	मध्य प्रदेश
74.	चंदापथा	1918	मध्य प्रदेश
75.	छोटी देवरी	1919	मध्य प्रदेश
76.	चिरईपानी	1913	मध्य प्रदेश
77.	धापोरा	1913	मध्य प्रदेश
78.	धारवाड़ा	1918	मध्य प्रदेश
79.	दिनोरा	1907	मध्य प्रदेश
80.	डोंगर बोडी	1911	मध्य प्रदेश
81.	गोरखा बांध	1912	मध्य प्रदेश
82.	गोविंदगढ़	1917	मध्य प्रदेश
83.	हरदुआमुदर	1917	मध्य प्रदेश
84.	हर्सी	1917	मध्य प्रदेश
85.	जगलारैक	1916	मध्य प्रदेश
86.	जगुआ	1921	मध्य प्रदेश
87.	जमाखेड़ी	1915	मध्य प्रदेश

88.	जमुनिया	1921	मध्य प्रदेश
89.	जवाहरगढ	1899	मध्य प्रदेश
90.	झलोनी	1913	मध्य प्रदेश
91.	जुमनेरा	1910	मध्य प्रदेश
92.	कमेरा	1910	मध्य प्रदेश
93.	कटंगझडी	1922	मध्य प्रदेश
94.	केशोपुर	1916	मध्य प्रदेश
95.	खनकुरिया	1915	मध्य प्रदेश
96.	खानपुरा	1907	मध्य प्रदेश
97.	खेरिया	1913	मध्य प्रदेश
98.	कोटा	1910	मध्य प्रदेश
99.	कोतवाल	1914	मध्य प्रदेश
100.	कुतारी नाला	1916	मध्य प्रदेश
101.	लोकपाल सागर	1909	मध्य प्रदेश
102.	लोअर सकरवाडा	1919	मध्य प्रदेश
103.	मझगवान	1914	मध्य प्रदेश
104.	मौसंधा	1917	मध्य प्रदेश
105.	मोहरी	1916	मध्य प्रदेश
106.	मोमनपुर	1916	मध्य प्रदेश
107.	नागदगजोरा	1911	मध्य प्रदेश
108.	नरोला	1916	मध्य प्रदेश
109.	पनागर	1912	मध्य प्रदेश
110.	पथरहट्टा	1918	मध्य प्रदेश

111.	पिलोवा	1914	मध्य प्रदेश
112.	पिप्रेहेटा	1913	मध्य प्रदेश
113.	राजगढ	1914	मध्य प्रदेश
114.	रामगढी	1915	मध्य प्रदेश
115.	रामपुर	1917	मध्य प्रदेश
116.	रणजीत	1916	मध्य प्रदेश
117.	रेच्छाई	1910	मध्य प्रदेश
118.	रूमल	1910	मध्य प्रदेश
119.	समरसिंहा	1917	मध्य प्रदेश
120.	सर्ग	1896	मध्य प्रदेश
121.	सिलोडा	1916	मध्य प्रदेश
122.	टीकनपुर	1895	मध्य प्रदेश
123.	तिग्रा	1917	मध्य प्रदेश
124.	अंबाजरी	1870	महाराष्ट्र
125.	अस्थी	1883	महाराष्ट्र
126.	असोलामेंढा	1918	महाराष्ट्र
127.	भटोडी	1892	महाराष्ट्र
128.	बोडलकासा	1917	महाराष्ट्र
129.	चांदपुर	1915	महाराष्ट्र
130.	चनकापुर	1911	महाराष्ट्र
131.	डरना	1916	महाराष्ट्र
132.	धामपुर	1600	महाराष्ट्र
133.	एकुख	1871	महाराष्ट्र

134.	गडमोशी	1912	महाराष्ट्र
135.	गोरेवाडा	1911	महाराष्ट्र
136.	जनाला	1912	महाराष्ट्र
137.	कलापविहिर	1800	महाराष्ट्र
138.	खडकवासला	1880	महाराष्ट्र
139.	खैरबंधा	1903	महाराष्ट्र
140.	खैरी	1913	महाराष्ट्र
141.	खिरदीसाठे	1904	महाराष्ट्र
142.	कुम्भली	1907	महाराष्ट्र
143.	लोनावाला	1916	महाराष्ट्र
144.	मयानी	1872	महाराष्ट्र
145.	म्हासवा	1880	महाराष्ट्र
146.	म्हसवड	1887	महाराष्ट्र
147.	मुदाना	1800	महाराष्ट्र
148.	मुक्ति	1873	महाराष्ट्र
149.	नल्लेश्वर	1922	महाराष्ट्र
150.	नेहर	1889	महाराष्ट्र
151.	पंगाडी	1917	महाराष्ट्र
152.	पारसुल	1884	महाराष्ट्र
153.	पथरी	1905	महाराष्ट्र
154.	पवनपर	1909	महाराष्ट्र
155.	रामटेक	1913	महाराष्ट्र
156.	रंकला	1883	महाराष्ट्र

157.	रुशी	1800	महाराष्ट्र
158.	शनिमंडल	1885	महाराष्ट्र
159.	शेत्फल	1901	महाराष्ट्र
160.	शीर्षफल	1879	महाराष्ट्र
161.	शिवता	1920	महाराष्ट्र
162.	तन्सा	1892	महाराष्ट्र
163.	ठोकरवाडी	1922	महाराष्ट्र
164.	तुलसी	1879	महाराष्ट्र
165.	विहार	1860	महाराष्ट्र
166.	वाधशिवने	1902	महाराष्ट्र
167.	वालवान	1916	महाराष्ट्र
168.	भंजनगर	1894	ओडिशा
169.	जगन्नाथसागर	1781	ओडिशा
170.	सोरोडा	1896	ओडिशा
171.	बांकली	1906	राजस्थान
172.	बरेठा बांध	1897	राजस्थान
173.	बुछारा	1889	राजस्थान
174.	छपरवाड़ा	1894	राजस्थान
175.	ढील	1911	राजस्थान
176.	फतेह सागर	1889	राजस्थान
177.	हेमावस	1911	राजस्थान
178.	हिंगोनिया	1862	राजस्थान
179.	जय समंद	1730	राजस्थान

180.	जय समंद	1910	राजस्थान
181.	जसवंत सागर	1889	राजस्थान
182.	कलाख सागर	1883	राजस्थान
183.	खराड	1877	राजस्थान
184.	कुक्स	1901	राजस्थान
185.	माधो सागर	1887	राजस्थान
186.	नाहर सागर	1909	राजस्थान
187.	राजसमंद	1676	राजस्थान
188.	राम गढ़	1901	राजस्थान
189.	सैंथल सागर	1898	राजस्थान
190.	सरदार समंद	1905	राजस्थान
191.	शील की झूंगरी	1900	राजस्थान
192.	स्वरूप सागर	1560	राजस्थान
193.	तोरडी सागर	1887	राजस्थान
194.	उदय सागर	1585	राजस्थान
195.	उम्मेद सागर	1917	राजस्थान
196.	पेचिपराई	1906	तमिलनाडु
197.	बरवा सागर	1694	उत्तर प्रदेश
198.	धंधरौल	1917	उत्तर प्रदेश
199.	ढेकवान	1909	उत्तर प्रदेश
200.	डोंगिया	1918	उत्तर प्रदेश
201.	गंगऊ	1915	उत्तर प्रदेश
202.	गोरी	1915	उत्तर प्रदेश

203.	खपटिया	1916	उत्तर प्रदेश
204.	कोटरा खंभा	1915	उत्तर प्रदेश
205.	लचुरा	1910	उत्तर प्रदेश
206.	मगर पुर	1694	उत्तर प्रदेश
207.	मझगवान	1917	उत्तर प्रदेश
208.	पचवारा झील	1694	उत्तर प्रदेश
209.	पहाड़ी	1912	उत्तर प्रदेश
210.	पाहुज	1909	उत्तर प्रदेश
211.	परिछा	1886	उत्तर प्रदेश
212.	सिओरी झील	1911	उत्तर प्रदेश
213.	सुखरा	1909	उत्तर प्रदेश
214.	अलेयर जलाशय	1922	तेलंगाना
215.	चौधरी चेरु, पोलकैम्पेट	1908	तेलंगाना
216.	लखनवरम टैंक	1909	तेलंगाना
217.	बड़ा टैंक, एडलूर येलारेड्डी	1901	तेलंगाना
218.	बड़ा टैंक, बिबिपेट	1911	तेलंगाना
219.	लार्ज टैंक, जंगमपल्ली	1898	तेलंगाना
220.	बड़ा टैंक, कच्छपुर	1896	तेलंगाना
221.	बड़ा टैंक, कामारेड्डी	1897	तेलंगाना
222.	लार्ज टैंक, मलकापुर	1898	तेलंगाना
223.	बड़ा टैंक, पेड्डमल्लारेड्डी	1892	तेलंगाना
224.	बड़ा टैंक, पुलकल	1918	तेलंगाना
225.	लार्ज टैंक, उप्पलवाई	1918	तेलंगाना

226.	मल्लारेड्डी चेरु, भीकनूर	1905	तेलंगाना
227.	उस्मान सागर	1920	तेलंगाना
228.	पाखल झील	1902	तेलंगाना
229.	पेड्डा चेरु, वेल्लुतला	1912	तेलंगाना
230.	पोचाराम	1922	तेलंगाना
231.	रामप्पा झील	1919	तेलंगाना
232.	सीताई चेरु, सीतापल्ली	1922	तेलंगाना
233.	शनिग्राम	1891	तेलंगाना
234.	उदयसमुद्रम	1906	तेलंगाना

गंगा की सहायक नदियों पर नमामि गंगे के तहत सीवरेज परियोजनाएं

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
उत्तराखंड						
1	देहरादून (रिस्पाना और बिंदल नदी)	रिस्पाना और बिंदल नदी	63.75	20.12.2019	देहरादून में (नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत) रिस्पाना और बिंदल नदी के लिए अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य	प्रक्रिया के अधीन
2	रामनगर (कोसी नदी)	कोसी	55.06	03.12.2019	रामनगर में कोसी नदी में बहने वाले नालों को अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य	पूर्ण
3	उधम सिंह नगर (धेला)	धेला	199.36	17.09.2021	(आई एंड डी) और 06 सं. का एसटीपी कार्य। भेला, धेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर सीवरेज	प्रक्रिया के अधीन

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					(आई एंड डी) योजना (धेला नदी) को पुनरूद्धार करने हेतु प्रदूषित नदी का विस्तार	
4	देहरादून	सुसवा नदी	78.99	25.10.2022	सपेरा बस्ती, देहरादून में एसटीपी कार्यों के साथ आइ एंड डी	निविदा के अधीन
हिमाचल प्रदेश						
5	पांवटा साहिब (जिला- सिरमौर) (यमुना-नदी)	यमुना	11.57	31.12.2018	तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में पांवटा शहर के जोन II और III के लिए सीवरेज योजना	पूर्ण
दिल्ली						
6	दिल्ली - वाईएपी -III - कोडली जोन (के1)	यमुना	87.43	05.05.2016	ट्रंक सीवर सं.4 का पुनरूद्धार	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
7	दिल्ली - वाईएपी -III - कोंडली जोन (के-2)	यमुना	83.4	06.05.2016	ट्रंक सीवर सं.5 का पुनरूद्धार	पूर्ण
8	दिल्ली - वाईएपी -III - कोंडली जोन (के 3)	यमुना	239.11	05.05.2016	कोंडली फेज-I एसटीपी (45 एमएलडी), फेज-II एसटीपी (114 एमएलडी) और फेज-III एसटीपी (45 एमएलडी) का पुनर्वास और उन्नयन	प्रक्रिया के अधीन
9	दिल्ली - वाईएपी -III - कोंडली जोन (के 4)	यमुना	59.13	16.03.2017	राइजिंग मुख्य का पुनरूद्धार	पूर्ण
10	दिल्ली - वाईएपी -III - रिठाला जोन (आर1 ए)	यमुना	43.92	05.05.2016	ट्रंक सीवरों का पुनरूद्धार	पूर्ण
11	दिल्ली -	यमुना	45.4	16.03.2017	राइजिंग मुख्य का	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
	वाईएपी -III - रिठाला जोन (आर1 बी)				पुनर्वास	
12	दिल्ली - वाईएपी -III - रिठाला जोन (आर 2)	यमुना	211.79	05.05.2016	चरण-1 एसटीपी (182 एमएलडी) का पुनरुद्धार और उन्नयन	प्रक्रिया के अधीन
13	दिल्ली - वाईएपी -III - ओखला क्षेत्र (ओ)	यमुना	665.78	16.03.2017	बीओडी - 10 मिलीग्राम / लीटरटीएसएस - 10 मिलीग्राम / लीटर या उससे बेहतर के बहिस्त्राव मानकों के साथ 564 एमएलडी (124 एमजीडी) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) का निर्माण और टर्नकी आधार पर ओखला में डीबीओ आधार पर बिजली	प्रक्रिया के अधीन

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					उत्पादन और मौजूदा 136 एमएलडी (चरण - I), 55 एमएलडी (चरण - II), 204 एमएलडी (चरण - III) और 168 एमएलडी (चरण - IV) डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का विध्वंस।	
14	कोरोनेशन पिलर, दिल्ली	यमुना	515.07	03.12.2018	कोरोनेशन पिलर, दिल्ली में डीबीओ आधार पर 10 साल के ओ एंड एम के साथ 318 एमएलडी (70 एमजीडी) डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का विनाश	पूर्ण
उत्तर प्रदेश						
15	मुरादाबाद (रामगंगा)	राम गंगा	330.05	31.07.2020	सीवरेज प्रणाली और एसटीपी कार्य (चरण-I)	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
16	मुरादाबाद (रामगंगा)	राम गंगा	118.69	23.07.2018	हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद (सीवरेज जोन-2) में राम गंगा नदी के लिए प्रदूषण उपशमन कार्य)	प्रक्रिया के अधीन
17	कन्नौज (काली)	काली	43.66	24.02.11	सीवरेज प्रणाली और एसटीपी कार्य (चरण- II)	पूर्ण
18	वृंदावन	यमुना	42.82	11.12.2019	सीवरेज अवसंरचना का पनरूद्धार और एसटीपी का संवर्धन/उन्नयन (4 एमएलडी)	पूर्ण
19	मथुरा	यमुना	460.45	13.12.2017	मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्वास/नवीकरण: मसानी में 30 एमएलडी एसटीपी	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					का निर्माण (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	
20	मथुरा	यमुना	292.56	07.09.2022	हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत सीवरेज योजना (शेष नालियों के लिए आईएंडडी और एसटीपी कार्य)	निविदा के अधीन
21	अयोध्या- फैजाबाद (सरयू-नदी)	सरयू	37.67	11.06.2018	अयोध्या, जिला- फैजाबाद में नालों का अवरोधन और दिक्परिवर्तन (आईएंडडी)।	पूर्ण
22	फैजाबाद (सरयू/घाघरा नदी)	सरयू	221.66	06.05.2021	फैजाबाद शहर, जिला अयोध्या में सरयू/घाघरा नदी के लिए प्रदूषण उपशमन कार्य	प्रक्रिया के अधीन

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					(एसटीपी के साथ अवरोधन और दिक्परिवर्तन)	
23	सुल्तानपुर (गोमती नदी)	गोमती	70.18	04.12.2019	सुल्तानपुर में एसटीपी के साथ अवरोधन और दिक्परिवर्तन (नए 7 एमएलडी का निर्माण और मौजूदा 5 एमएलडी से 10 एमएलडी का उन्नयन)	प्रक्रिया के अधीन
24	कासगंज (काली नदी)	काली	76.73	24.12.2018	कासगंज में एसटीपी के साथ अवरोधन और दिक्परिवर्तन	पूर्ण
25	आगरा (यमुना-नदी)	यमुना	842.25	06.05.2020	आगरा में सीवरेज योजना के पुनरूद्धार के साथ अवरोधन और दिक्परिवर्तन (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी	प्रक्रिया के अधीन

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	
26	मुजफ्फरनगर (हिंडन-नदी)	हिंडन (काली)	234.03	13.01.2020	मुजफ्फरनगर में अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य और एसटीपी (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	प्रक्रिया के अधीन
27	बुढाना	काली	48.76	18.02.2019	बुढाना में अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य और एसटीपी (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	प्रक्रिया के अधीन
28	बरेली (राम गंगा-नदी)	राम गंगा	271.39	03.01.2019	बरेली में अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य और एसटीपी	प्रक्रिया के अधीन
29	जौनपुर (गोमती)	गोमती	206.05	12.02.2019	जौनपुर में अवरोधन और	प्रक्रिया के अधीन

क्र.सं	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
	नदी)				दिक्परिवर्तन कार्य और एसटीपी	
30	मेरठ (काली नदी)	काली पूर्व	690.71	06.05.2020	मेरठ नगर पालिका के तहत नदी कालीकट मेरठ के लिए प्रदूषण उपशमन कार्य (एसटीपी के साथ अवरोधन और दिक्परिवर्तन) (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	निविदा के अधीन
31	बागपत (यमुना नदी)	यमुना	77.36	19.02.2019	बागपत शहर का अवरोधन और दिक्परिवर्तन और एसटीपी कार्य	पूर्ण
32	फिरोजाबाद (यमुना नदी)	यमुना	51.08	01.03.2019	फिरोजाबाद सीवरेज योजना (अवरोधन एवं दिक्परिवर्तन) कार्य	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
33	इटावा	यमुना	140.6	28.02.2019	सीवरेज योजना (अवरोधन एवं दिक्परिवर्तन) कार्य	पूर्ण
34	लखनऊ (गोमती नदी)	गोमती	213.91	06.05.2020	लखनऊ में अवरोधन और दिक्परिवर्तन और एसटीपी का काम	प्रक्रिया के अधीन
35	कैराना	यमुना	78.42	07.12.2020	नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कैराना टाउन, जिला- शामली, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अवरोधन और दिक्परिवर्तन कार्य	प्रक्रिया के अधीन
36	प्रतापगढ़	धमोला/हिंडन	39.67	03.11.2021	नालों और सीवरेज उपचारसंयंत्र का अवरोधन और दिक्परिवर्तन (आई एंड डी)।	निविदा के अधीन
37	सहारनपुर	धमोला/हिंडन	577.23	11.06.2022	सहारनपुर, उत्तर	निविदा

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
		न			प्रदेश में अवरोधन और दिक्परिवर्तन (आईएंडडी) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है (हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल-नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत)	के अधीन
38	छाता	यमुना	56.15	25.10.2022	आई एंड डी और एसटीपी कार्य	निविदा के अधीन
39	कोसी	यमुना	66.59	25.10.2022	आई एंड डी और एसटीपी कार्य	निविदा के अधीन
40	वृंदावन	यमुना	77.7	25.10.2022	आई एंड डी और एसटीपी कार्य	निविदा के अधीन
हरियाणा						
41	पानीपत	यमुना	129.51	17.07.2012	सीवरेज और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)	पूर्ण
42	सोनीपत	यमुना	88.36	17.07.2012	सीवरेज और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)	पूर्ण

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
राजस्थान						
43	कोटा	चंबल	258.48	25.02.2021	कोटा में चंबल नदी के लिए पर्यावरणीय सुधार योजना	प्रक्रिया के अधीन
बिहार						
44	नौगछिया	कोसी	60.79	01.08.2017	नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अवरोधन , दिक्परिवर्तन और सीवेज उपचार संयंत्र कार्य करता है	प्रक्रिया के अधीन
45	देहरी (सोन)	सोन	63.89	01.12.2021	देहरी (नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत) में अवरोधन और दिक्परिवर्तन और एसटीपी कार्य	निविदा के अधीन
46	रामनगर	रामरेखा	56.97	12.09.2022	आई एंड डी और एसटीपी कार्य, एनजीएम-द्वितीय	निविदा के अधीन
47	सपौल	कोसी	57.09	7.09.2022	आई एंड डी और एसटीपी कार्य,	निविदा के अधीन

क्र.सं.	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					एनजीएम-II	
48	नरकटियागंज	हरबोरा/पोंड ई नदी	47.39	17.10.2022	नरकटियागंज में आई एंड डी परियोजना	निविदा के अधीन
झारखंड						
49	फुसरो	दामोदर	61.05	15.12.2020	आई एंड डी और एसटीपी परियोजना	निविदा के अधीन
50	रामगढ़	दामोदर	284.8	17.10.2022	रामगढ़ में आईएंडडी और एसटीपी योजना	निविदा के अधीन
पश्चिम बंगाल						
51	बुर्दवान	दामोदर	6.46	20.06.2022	गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल कीचड़ प्रबंधन	निविदा के अधीन
52	दुर्गापुर	दामोदर	287.53	03.01.2019	दुर्गापुर नगर पालिका के तहत पंपिंग स्टेशनों और एसटीपी सहित नालों के लिए अवरोधन और दिक्परिवर्तन	निविदा के अधीन

क्र.सं	शहर	नदी का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत का कुल (करोड़ में)	मंजूरी की तारीख	कार्यों का नाम/प्रकृति	वास्तविक स्थिति
					नेटवर्क	
53	आसनसोल और कुल्टी (दामोदर और बराकर नदी)	दामोदर और बराकर	384.96	12.02.2019	आसनसोल और कुल्टी शहरों के लिए अवरोधन और दिक्परिवर्तन सीवरेज प्रणाली और एसटीपी	निविदा के अधीन

गंगा की सहायक नदियों पर घाटों और शवदाह गृहों परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दायरा - घाट (जी)/ शवदाह गृह (सी)	वास्तविक स्थिति	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)
बिहार				
1	गोपालगंज में घाटों का विकास कार्य	घाट - 2	पूर्ण	8.25
2	गोपालगंज में शवदाह गृह का विकास	शवदाह गृह - 2	निविदा के अधीन	3.45
मध्य प्रदेश				
3	नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मंदाकिनी नदी तट चित्रकूट धाम जिला सतना, मध्य प्रदेश में घाट निर्माण कार्य	घाट - 2	निविदा के अधीन	31.88
4	मोरार नदी का कायाकल्प और विकास	आरएफडी	प्रक्रिया के अधीन	39.24
5	मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी का पर्यावरणीय उन्नयन	घाट - 2 शवदाह गृह - 1	निविदा के अधीन	28.91

जल गुणवत्ता संबंधी मानदंड एवं यमुना नदी

सीडब्ल्यूसी, देश भर में नदी घाटियों को कवर करने वाले प्रमुख नदी स्थानों पर जल की गुणवत्ता को माप रहा है।

"जल के निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग" के लिए सीपीसीबी वर्गीकरण के अनुसार, आउटडोर स्नान (सुनियोजित) वर्गीकरण वर्ग-बी श्रेणी में आता है जो निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है-

1. पीएच की जल अनुरोध सीमा - 6.5 से 8.5 के बीच
2. डीओ की जल अनुमत्य सीमा = >5.0 मिलीग्राम / ली.
3. बीओडी की जल अनुमत्य सीमा = <3.0 मिलीग्राम / ली.
4. कुल कोलीफॉर्म की जल अनुमत्य सीमा- <= 500 एमपीएन / 100 मिलीलीटर

इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग ने "भारत की नदियों में जल गुणवत्ता हॉट-स्पॉट" पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। सीडब्ल्यूसी ने नवंबर, 2021 के दौरान प्रकाशित "भारत की नदियों में जल गुणवत्ता हॉट-स्पॉट" पर अपने तीसरे प्रकाशन में वर्ष 2010-2020 के दौरान अनुसरण किए गए मूल्य के आधार पर उपर्युक्त मानदंडों के 10 वर्षों के औसत मूल्य प्रकाशित किए हैं।

प्रतापपुर तक यमुना नदी की मुख्य धारा के मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है,

1. घुलित ऑक्सीजन

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान यमुना नदी में पाए गए घुलित ऑक्सीजन (डीओ) के हॉट स्पॉट औसत मूल्य। इसका ब्यौरा तालिका 01 में दिया गया है।

तालिका: 01 वर्ग बी में सीपीसीबी के रूप में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) मानदंड के लिए निर्धारित सीमा 5>मिलीग्राम / ली. है।

क्र.सं.	मानदंड	साइट	नदी	राज्य	जिला	मानसून औसत	गैर-मानसून औसत
1	डीओ	आगरा (पी.जी.)	यमुना	उत्तर प्रदेश	आगरा	1.61	1.38

2	डीओ	दिल्ली रेलवे ब्रिज	यमुना	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	2.00	1.3
3	डीओ	जवाहर पुल	यमुना	उत्तर प्रदेश	आगरा	3.77	3.42
4	डीओ	मथुरा	यमुना	उत्तर प्रदेश	मथुरा	2.95	2.49
5	डीओ	मावी	यमुना	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फर नगर	4.73	5.04
6	डीओ	मोहना	यमुना	हरियाणा	फरीदाबाद	2.31	1.6
7	डीओ	पल्ला	यमुना	दिल्ली	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	4.91	5.88
8	डीओ	पोंटा	यमुना	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	4.12	4.74

2. जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान यमुना नदी में पाए गए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के हॉट स्पॉट औसत मान। इसका ब्यौरा तालिका 02 में दिया गया है।

तालिका: 02 वर्ग बी में सीपीसीबी के रूप में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) मानदंड के लिए निर्धारित सीमाएं 3<मिलीग्राम / ली. है।

क्र.सं.	मानदंड	साइट	नदी	राज्य	जिला	मानसून औसत	गैर-मानसून औसत
1	बीओडी	आगरा (पी.जी.)	यमुना	उत्तर प्रदेश	आगरा	19.71	18.27
2	बीओडी	औरैया	यमुना	उत्तर प्रदेश	औरैया	8.81	12.86
3	बीओडी	दिल्ली रेलवे पुल	यमुना	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	28.15	40.87
4	बीओडी	इटावा	यमुना	उत्तर प्रदेश	इटावा	16.78	33.56
5	बीओडी	हमीरपुर	यमुना	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	5.09	7.36
6	बीओडी	मथुरा	यमुना	उत्तर प्रदेश	मथुरा	20.54	23.46
7	बीओडी	मावी	यमुना	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फर नगर	5.2	6.28

8	बीओडी	मोहना	यमुना	हरियाणा	फरीदाबाद	17.89	26.14
9	बीओडी	पल्ला	यमुना	दिल्ली	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	5.43	5.96
10	बीओडी	प्रतापपुर	यमुना	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	2.87	3.06
11	बीओडी	राजापुर	यमुना	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	3.94	4.3

3. कुल कोलीफॉर्म

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान पूरी यमुना नदी में कुल कोलीफॉर्म (टीसी) का औसत मान सीपीसीबी (पानी के निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग) के वर्ग-बी में कुल कोलीफॉर्म की सीमा से अधिक था।

4. पीएच-

दिल्ली राज्य में पूरी यमुना नदी में औसत मानसून और औसत गैर-मानसून मौसम दोनों में वर्ष 2010-2020 की अवधि के लिए सीपीसीबी (पानी के निर्दिष्ट सर्वश्रेष्ठ उपयोग) के वर्ग-बी में पीएच के लिए पीएच मान सीमा के भीतर रहता है।

राज्य दिल्ली के लिए उपरोक्त मान नीचे दिए गए हैं-

1. घुलित ऑक्सीजन

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान दिल्ली राज्य में यमुना नदी में पाए गए घुलित ऑक्सीजन (डीओ) के हॉट स्पॉट औसत मूल्य। इसका ब्यौरा तालिका 01 में दिया गया है।

तालिका: 01 वर्ग बी में सीपीसीबी के रूप में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) मानदंड के लिए निर्धारित सीमाएं 5>मिलीग्राम / लीटर है।

क्र.सं.	मानदंड	साइट	नदी	राज्य	जिला	मानसून औसत	गैर-मानसून औसत
1	डीओ	दिल्ली रेलवे ब्रिज	यमुना	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	2.00	1.3
2	डीओ	पल्ला	यमुना	दिल्ली	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	4.91	5.88

2. बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान दिल्ली राज्य में यमुना नदी में पाए जाने वाले बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के हॉट स्पॉट औसत मान। विवरण तालिका 02 में दिया गया है।

तालिका: 02 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) मानदंड के लिए निर्धारित सीमा सीपीसीबी के रूप में वर्ग बी में 3 <मिलीग्राम / ली. है

क्र.सं.	मानदंड	साइट	नदी	राज्य	जिला	मानसून औसत	गैर-मानसून औसत
1	डीओ	दिल्ली रेलवे ब्रिज	यमुना	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	28.15	40.87
2	डीओ	पल्ला	यमुना	दिल्ली	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	5.43	5.96

3. कुल कोलीफॉर्म

वर्ष 2010-2020 की अवधि के दौरान दिल्ली राज्य में पूरी यमुना नदी में कुल कोलीफॉर्म (टीसी) का औसत मूल्य सीपीसीबी (पानी के निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग) के वर्ग-बी में कुल कोलीफॉर्म की सीमा से अधिक था।

4. पीएच-

दिल्ली राज्य में पूरी यमुना नदी में औसत मानसून और औसत गैर-मानसून मौसम, दोनों में वर्ष 2010-2020 की अवधि के लिए सीपीसीबी (पानी के निर्दिष्ट सर्वश्रेष्ठ उपयोग) के वर्ग-बी में पीएच के लिए पीएच मान सीमा के भीतर रहते हैं।